Machine Translated by Google

हैंडबुक के संबंध में
व्यक्ति विकलांग

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

Machine Translated by Google

K D Mallikarjuna

हैंडबुक के संबंध में

व्यक्ति विकलांग

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

CC BY NC ND

Machine Translated by Google

विषयसूची

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखित प्रस्तावना 1

भाग-I: समानता और विकलांगता का नियम

1. परिचय: विकलांग व्यक्तियों के लिए न्याय 3

2. विकलांगता और समानता कानून: मौलिक और परिवर्तनकारी.....4

3. विकलांग व्यक्तियों के लिए उचित आवास 7

4. विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेशी कार्यस्थल 15

5. दिव्यांग वकीलों और वादियों के लिए समावेशी न्यायालय.....17

भाग-II: भाषा और विकलांगताएं

6. विकलांगता और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सामान्य भाषा सिद्धांत.....22

7. रूढ़िबद्ध शब्द और वैकल्पिक भाषा.....24

8. विशिष्ट नैदानिक स्थितियां 31

भाग III: कानूनी ढांचा

9. आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत प्रमुख अधिकार और दायित्व 35

10. दिव्यांग गवाह 43

11. मानसिक क्षमता और "मन की अस्वस्थता" 45

Machine Translated by Google

12. मताधिकार एवं दिव्यांगजन 49

13. विकलांग व्यक्तियों के लिए संपत्ति का स्वामित्व 51

14. गर्भावस्था की समाप्ति और विकलांगता 52

15. विकलांग कैदियों के अधिकार 54

16. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत शैक्षिक सुविधाएं.....56

17. बुनियादी ढांचा और पर्यावरणीय दायित्व 57

संदर्भ सामग्री और संसाधन.....62

Machine Translated by Google

प्रस्तावना

भारत के मुख्य न्यायाधीश

सभी मनुष्य सम्मान और अधिकारों के मामले में समान रूप से जन्म लेते हैं, और हर जीवन का अपना महत्व होता है। फिर भी, दुनिया भर में विकलांगता के साथ रहने वाले एक अरब से ज़्यादा लोगों के लिए, विकलांगता से जुड़े गहरे सामाजिक पूर्वाग्रहों, भेदभाव और कलंक के कारण समान सम्मान पाना मुश्किल है।
असहिष्णुता, गलत धारणाएं और उपेक्षा समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी में बाधा डालती हैं।

विकलांगता का सामाजिक मॉडल जिस पर विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और भारत के विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 आधारित हैं, यह मानता है कि भले ही व्यक्तियों में विकलांगता हो सकती है, लेकिन सामाजिक रूप से निर्मित बाधाएं उन्हें नागरिक जीवन में पूर्ण भागीदारी से रोकती हैं। यह दृष्टिकोण विकलांग व्यक्तियों की स्थितियों से ध्यान हटाकर उन्हें समायोजित करने में समाज की प्रणालीगत और संरचनात्मक विफलताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। यह समाज के लिए आत्मनिरीक्षण करने और ऐसी रणनीतियाँ अपनाने की अनिवार्यता बनाता है जो विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर, पहुँच, उचित आवास और समावेशी वातावरण सुनिश्चित करती हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी कानूनी प्रणाली प्रभावी रूप से विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को बनाए रखती है, उनके सामने आने वाली विविध चुनौतियों को समझना महत्वपूर्ण है। यह जागरूकता शारीरिक समायोजन से परे है और इसमें विकलांगता के बारे में पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों को संबोधित करना शामिल है जो कानूनी कार्यवाही को सूक्ष्म रूप से प्रभावित कर सकते हैं। पूर्वाग्रह, अक्सर अनजाने में, न्यायिक परिणामों की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, विकलांग व्यक्तियों को अनुचित रूप से असंगत या अलग-थलग दिखाने वाली रूढ़ियाँ उनकी सटीक गवाही देने की क्षमता के बारे में पक्षपातपूर्ण धारणाओं को जन्म देती हैं। इसी तरह, उनकी स्वायत्तता और निर्णय लेने की क्षमताओं के बारे में गलत धारणाएँ उनके स्वास्थ्य से संबंधित निर्णय लेने या उनके वित्त का प्रबंधन करने जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने की उनकी कानूनी योग्यता के बारे में न्यायिक निर्धारणों को प्रभावित कर सकती हैं। इन पूर्वाग्रहों को चुनौती देकर और विकलांग व्यक्तियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कानूनी प्रणाली को सुसज्जित करके, हम एक अधिक समावेशी न्याय प्रणाली बना सकते हैं।

इस प्रयास में भाषा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देने वाले शब्द और वाक्यांश विकलांग व्यक्तियों के बारे में नकारात्मक धारणाओं को मजबूत करते हैं और व्यक्तियों के बहिष्कार में योगदान करते हैं। भाषा का उपयोग करना महत्वपूर्ण है

Machine Translated by Google

जो विकलांग व्यक्तियों का सम्मान और सम्मान करता है, ऐसे शब्दों से परहेज करता है जो उन्हें अमानवीय, कलंकित या संरक्षण प्रदान करते हैं। समावेशी और तटस्थ शब्दावली का चयन करके, हम सक्रिय रूप से हानिकारक रूढ़ियों को खत्म करते हैं और एक न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देते हैं।

'विकलांग व्यक्तियों से संबंधित पुस्तिका' एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसे इन मुद्दों को संबोधित करने में कानूनी समुदाय की सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह न्यायाधीशों और कानूनी पेशेवरों को हमारे संवैधानिक ढांचे के भीतर विकलांगता के सामाजिक मॉडल को समझने, विकलांग व्यक्तियों से संबंधित रूढ़िवादिता को संबोधित करने और सम्मानजनक भाषा का उपयोग करने में व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। पुस्तिका में उन शब्दों की शब्दावली शामिल है जो रूढ़िवादिता को बनाए रखते हैं और कानूनी दस्तावेजों, आदेशों और निर्णयों में उपयोग के लिए वैकल्पिक, सम्मानजनक भाषा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, यह विकलांगता अधिकारों से संबंधित कानूनी ढांचे और प्रमुख मुद्दों को रेखांकित करता है, जो निष्पक्ष न्यायनिर्णयन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।

यह पुस्तिका कई समर्पित व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों का प्रतिनिधित्व करती है।
यह पुस्तिका भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसंधान एवं नियोजन केंद्र के मार्गदर्शन में तैयार की गई है। डॉ. सुखदा प्रीतम इस केंद्र की निदेशक हैं।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह (न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय) ने इस पुस्तिका में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। मैं डॉ. संजय जैन (नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु में प्रोफेसर), श्री राहुल बजाज (एडवोकेट) और सुश्री सारा सनी (एडवोकेट) को उनकी सावधानीपूर्वक समीक्षा और पुस्तिका पर प्रतिक्रिया के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूँ। सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग में रिसर्च एसोसिएट्स अवंती दीवान, प्रियंका सिंह, शांभवी गुप्ता, शिवालिका, तेजस्वी मेलरकोडे और विधि गुप्ता ने पुस्तिका तैयार करने में कुशलतापूर्वक सहायता की है। श्री वासुदेव देवदासन (रिसर्च कंसल्टेंट, सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग) ने पुस्तिका का कुशलतापूर्वक संपादन किया है। मैं उन विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों का भी आभारी हूँ जिन्होंने पुस्तिका के संबंध में सुझावों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सार्वजनिक आह्वान पर प्रतिक्रिया दी।

जैसा कि हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, एक समावेशी न्यायिक प्रणाली को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता दृढ़ है जो प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान और आदर करती है। यह पुस्तिका इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं कानूनी पेशे के सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे इस पुस्तिका से जुड़ें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि न्याय निष्पक्ष रूप से, पक्षपात से मुक्त होकर किया जाए और सभी के लिए समानता, निष्पक्षता और गरिमा के मौलिक मूल्यों को सही मायने में मूर्त रूप दिया जाए।

डॉ. जस्टिस धनंजय वाई. चंद्रचूड़
भारत के मुख्य न्यायाधीश

Machine Translated by Google

पार्ट-मैं

समानता और विकलांगता का कानून

1. परिचय: विकलांग व्यक्तियों के लिए न्याय

सभी नागरिकों के अधिकारों और सम्मान को बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण है।
हालांकि, सामाजिक दृष्टिकोण और जागरूकता की कमी कभी-कभी विकलांग व्यक्तियों जैसे हाशिए पर पड़े समूहों के प्रति अनजाने में भेदभाव या असंवेदनशीलता का कारण बन सकती है। न्यायाधीशों को विकलांग व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली अनूठी चुनौतियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, जिस भाषा का वे उपयोग करते हैं, उनके समग्र आचरण और व्यवहार में, और किसी मामले के प्रति उनके दृष्टिकोण में।

विकलांग व्यक्तियों के सामने आने वाली बाधाएँ सिर्फ़ शारीरिक पहुँच के मुद्दों से आगे बढ़कर समाज के कई पहलुओं में व्याप्त गहरे पूर्वाग्रहों, रूढ़ियों और गलत धारणाओं तक फैली हुई हैं। शिक्षा और रोज़गार से लेकर स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक सेवाओं तक, विकलांग व्यक्तियों को अक्सर ऐसी महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो उनकी पूर्ण भागीदारी और समावेशन में बाधा डालती हैं। न्यायाधीशों को सामाजिक, मनोवृत्तिगत, संचार संबंधी, सांस्कृतिक, संस्थागत, संरचनात्मक, राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी और पर्यावरणीय बाधाओं की समझ विकसित करनी चाहिए जिनका विकलांग व्यक्ति प्रतिदिन सामना करते हैं।[1] न्यायाधीशों को इन बाधाओं को पहचानना चाहिए और अपने फैसलों और आचरण के माध्यम से उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

इससे घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है गैर-भेदभाव का मौलिक सिद्धांत।
विकलांग व्यक्तियों को भी बाकी सभी लोगों की तरह ही समान अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त है, और विकलांगता के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। न्यायाधीश गैर-भेदभाव कानूनों और नीतियों को बनाए रखने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि विकलांग व्यक्तियों के साथ समान सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाता है। यह न केवल उनके निर्णयों तक ही सीमित है, बल्कि जिस तरह से वे कार्यवाही करते हैं और अपने न्यायालयों में विकलांग व्यक्तियों के साथ बातचीत करते हैं, उस पर भी लागू होता है।

1 विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016, धारा 2(सी)।

Machine Translated by Google

इसके अलावा, न्यायाधीशों को न्यायालयों में विकलांग व्यक्तियों के लिए उचित समायोजन के महत्व को समझना चाहिए और उसे प्राथमिकता देनी चाहिए। ये समायोजन विभिन्न रूप ले सकते हैं, जैसे सुलभ सुविधाएँ प्रदान करना, वैकल्पिक संचार विधियाँ प्रदान करना या लचीली प्रक्रियाओं की अनुमति देना। उचित समायोजन करके, न्यायाधीश यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि विकलांग व्यक्तियों को न्याय तक समान पहुँच प्राप्त हो और वे अनावश्यक बाधाओं या नुकसानों का सामना किए बिना कानूनी कार्यवाही में पूरी तरह से भाग ले सकें।

न्यायाधीशों को गैर-भेदभाव और उचित समायोजन के सिद्धांतों और विकलांग व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक बाधाओं के प्रति संवेदनशील बनाना विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को बनाए रखने और अधिक समावेशी और न्यायसंगत न्याय प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। जिन न्यायाधीशों को इन मुद्दों की गहरी समझ है, वे निष्पक्ष और निष्पक्ष निर्णय देने, अपने न्यायालयों में सम्मान और गरिमा का माहौल बनाने और जीवन के सभी क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने और उन्हें शामिल करने के व्यापक सामाजिक लक्ष्य में योगदान देने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं।

2. विकलांगता और समानता कानून: मौलिक और परिवर्तनकारी

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में मूलभूत समानता का दर्शन समाहित है।2 मूलभूत समानता यह मानती है कि ऐतिहासिक और संरचनात्मक रूप से वंचित समूहों के साथ अन्य व्यक्तियों के समान व्यवहार करने से मौजूदा वंचितता कायम रहती है।

इसलिए, वास्तविक समानता संरचनात्मक परिवर्तन को सक्रिय रूप से सुविधाजनक बनाने और सकारात्मक कदमों के माध्यम से व्यक्तियों के उत्थान की आवश्यकता को पहचानती है, ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों और समाज के अन्य वर्गों के बीच की खाई को पाटती है। वास्तविक समानता परिणामों की समानता से संबंधित है, औपचारिक समानता के विपरीत जो विशेष रूप से सभी के साथ समान व्यवहार (अवसर की समानता) पर केंद्रित है, भले ही यह कुछ व्यक्तियों द्वारा सामना किए गए ऐतिहासिक नुकसान के कारण असमान परिणामों को बनाए रखे। जबकि औपचारिक समानता के तहत, भेदभाव मुख्य रूप से कुछ समूहों के साथ अनुचित व्यवहार के माध्यम से होता है, वास्तविक समानता के तहत, हाशिए पर पड़े समूहों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाने में विफलता भी भेदभाव के बराबर हो सकती है।

2 केरल राज्य बनाम एनएम थॉमस 1975 आईएनएससी 224।

Machine Translated by Google

समानता के महत्व को समझना न केवल व्यक्तियों के साथ व्यवहार से संबंधित है, बल्कि समाज में होने वाले प्रणालीगत और संरचनात्मक परिवर्तनों से भी संबंधित है, यही वह चीज है जो वास्तविक समानता को उसके परिवर्तनकारी चरित्र से भर देती है। जैसा कि सैंड्रा फ्रेडमैन ने कहा है, "परिवर्तन के रूप में समानता के लिए न केवल बाधाओं को हटाना आवश्यक है, बल्कि बदलाव लाने के लिए सकारात्मक उपाय भी करने होंगे।"3 इस दृष्टि से देखा जाए, तो वंचित समूहों के उत्थान के लिए सकारात्मक कदम राज्य द्वारा दिए गए अस्थायी अधिकार नहीं हैं, बल्कि वे बाध्यकारी अधिकार-सक्षम करने वाली शर्तें हैं, जिन पर समानता के अधिकार के घटक तत्वों के रूप में कानूनी रूप से दावा किया जा सकता है।

विकलांगता अधिकारों के संदर्भ में, वास्तविक समानता का अर्थ है कि विकलांग व्यक्तियों से मौजूदा मानदंडों के अनुरूप होने की अपेक्षा करने के बजाय, समानता कानून को विकलांगता को एक प्रासंगिक विशेषता के रूप में मान्यता देनी चाहिए और मौजूदा मानदंडों में बदलाव और समायोजन की व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना चाहिए। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संदर्भ में वास्तविक समानता उन सिद्धांतों में अपनी वास्तविक व्याख्या पाती है जो समाज में विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। वास्तविक समानता का उद्देश्य सकारात्मक कार्रवाई और उचित समायोजन के विभिन्न तरीकों के माध्यम से परिणामों की समानता सुनिश्चित करना है। उचित समायोजन यह सुनिश्चित करके वास्तविक समानता के इस विचार को बढ़ावा देता है कि विकलांग लोगों के साथ एक अलग और संवेदनशील तरीके से व्यवहार किया जाता है और उन्हें समाज के अन्य सभी सदस्यों के समान उपलब्ध संसाधनों तक पहुँचने और उनका उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए कुछ सहायता, छूट, अपवाद या समायोजन प्रदान किए जाते हैं। विकलांग व्यक्तियों को यह अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के पीछे का लक्ष्य उन्हें कोई अनुचित लाभ प्रदान करना नहीं है, बल्कि उनके लिए समान अवसर प्रदान करना है।

विकलांगता को केवल एक "बीमारी", "दोष" या "बुरा अंतर" के रूप में मानना गलत है, जो स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित है।6 विकलांगता का यह 'चिकित्सा' दृष्टिकोण ऐतिहासिक रूप से प्रमुख रहा है, जिसके अनुसार विकलांगता वाले व्यक्ति को चिकित्सा मूल्यांकन के अधीन कुछ रियायतों के लिए पात्र माना जाता था। हालाँकि, आज कानून यह मानता है कि विकलांगता वाले व्यक्ति मुख्य रूप से उन सामाजिक संरचनाओं के कारण पक्षपाती हैं जो विफल हो जाती हैं

3 सैंड्रा फ्रेडमैन, 'औपचारिक और वास्तविक समानता के द्वंद्व से परे: समान अधिकारों की एक नई परिभाषा की ओर' आई. बोएरेफ़िन, एफ कूमन्स और जे गोल्डस्मिट (संपादक), अस्थायी विशेष उपाय: महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुच्छेद 4(1) के तहत महिलाओं की वास्तविक समानता में तेजी लाना (2003), पृ. 115.

4 सैंड्रा फ्रेडमैन, 'विकलांगता समानता: मौजूदा भेदभाव विरोधी प्रतिमान के लिए एक चुनौती?' विकलांगता और समानता कानून में (रूटलेज 2016)।

5 रविन्द्र कुमार धारीवाल बनाम भारत संघ 2021 आईएनएससी 916।

6 कॉलिन बार्न्स और ज्योफ मर्सर, 'एक्सप्लोरिंग द डिवाइड: इलनेस एंड डिसेबिलिटी' (लीड्स: द डिसेबिलिटी प्रेस 1996)।

Machine Translated by Google

किसी भी चिकित्सा बीमारी के बजाय उन्हें उचित रूप से समायोजित करना। उदाहरण के लिए, सरकारी अधिकारियों द्वारा लाइव सार्वजनिक घोषणाओं के दौरान कैप्शनिंग या सांकेतिक भाषा सेवाओं की अनुपस्थिति श्रवण विकलांग व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच से वंचित करती है। ऐसी सरल सेवाएँ प्रदान करने में विफलता जो विकलांग लोगों को उचित रूप से समायोजित कर सकती हैं, ऐसे व्यक्तियों को सूचित किए जाने के उनके अधिकार का प्रयोग करने से अनुचित रूप से वंचित करती हैं। न्यायालयों को मामलों का फैसला करते समय विकलांगता के इस सामाजिक और संरचनात्मक तत्व का संज्ञान लेना चाहिए।

वास्तविक समानता सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यकता-आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं के कारण होने वाली विकलांगता की अलग-अलग डिग्री को पहचानता है। लिंग, लिंग, धर्म या जाति के चिह्नों के माध्यम से पहचाने जाने वाले अन्य हाशिए के समूहों के विपरीत, विकलांग व्यक्ति हमेशा एक पहचान योग्य और अलग-थलग समूह नहीं हो सकते हैं। इसे पहचानते हुए, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 ("RPwD अधिनियम") एक 'विकलांग व्यक्ति' को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसमें ऐसी विकलांगता है जो समाज में उनकी पूर्ण, प्रभावी और समान भागीदारी में बाधा डालती है।7 यह परिभाषा मानती है कि विकलांगता एक नैदानिक स्थिति से परे हो सकती है और जो मायने रखता है वह यह है कि क्या विकलांग व्यक्ति के लिए पूर्ण सामाजिक भागीदारी पर कोई सीमा मौजूद है।

अंतर्संबंध और समानता

अंत:क्रियाशीलता बताती है कि किसी व्यक्ति की पहचान के विभिन्न पहलू किस तरह से उसके अनुभवों को प्रभावित करने के लिए एक साथ आते हैं।8 यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि किस तरह से कई हाशिए पर पड़ी पहचानों के चौराहे पर खड़े व्यक्ति भेदभाव के जटिल रूपों का सामना करते हैं। विकलांगता के साथ असंख्य कारक जुड़ सकते हैं, जो किसी व्यक्ति के अनुभव को नया रूप दे सकते हैं। ये वर्ग और जाति से लेकर जातीयता, संस्कृति, लैंगिक पहचान, यौन अभिविन्यास और धर्म तक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जाति और लिंग जैसी परस्पर पहचान विकलांग व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों को और बढ़ा सकती है। उदाहरण के लिए, विकलांग दलित महिलाओं को उनकी जाति की स्थिति, लिंग और विकलांगता के कारण हाशिए पर डाले जाने के अनूठे और जटिल रूपों का सामना करना पड़ सकता है।

7 विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016, धारा 2(एस)।

8 क्रेनशॉ किम्बरली, 'रेस और सेक्स के इंटरसेक्शन को अलग करना: एंटीडिस्क्रिमिनेशन सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत और एंटीरेसिस्ट राजनीति की एक ब्लैक फेमिनिस्ट आलोचना' 1989:1 अनुच्छेद 8 यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लीगल फोरम 139.

Machine Translated by Google

पाटन जमाल वली बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में , [9] की एक डिवीजन बेंच सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित दृष्टिबाधित लड़की के साथ बलात्कार के आरोपी की सजा को बरकरार रखा। न्यायालय ने इस खेल में ओवरलैपिंग पहचानों को पहचाना और विकलांग महिलाओं की यौन हिंसा के प्रति बढ़ती भेद्यता को उजागर किया। इसने इस दोहरी भेद्यता को स्वीकार करने के लिए कानूनी प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि विकलांग महिलाओं को अक्सर उनकी कम क्षमता और बोलने में असमर्थता के बारे में सामाजिक धारणाओं के कारण यौन हिंसा के लिए 'आसान लक्ष्य' के रूप में देखा जाता है।

सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन10 का मामला बौद्धिक विकलांगता वाली महिला और गर्भपात कराने के उसके अधिकार से जुड़ा था। इस मामले का क्रम उस हानिकारक रूढ़ि को दर्शाता है कि बौद्धिक विकलांगता वाली महिलाओं में सही निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, खासकर अपने पालन-पोषण की क्षमताओं के बारे में। इस मामले में, हल्की बौद्धिक विकलांगता वाली महिला, सरकारी कल्याण संस्थान में अपने कथित बलात्कार के कारण गर्भवती हो गई। बच्चे को जन्म देने की इच्छा व्यक्त करने के बावजूद, उच्च न्यायालय ने उसकी सहमति के बिना उसकी गर्भावस्था को समाप्त करने का निर्देश दिया।

अपील पर, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि महिला की मानसिक स्थिति उसे निर्णय लेने में पूरी तरह से अक्षम नहीं बनाती। कोर्ट ने निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वायत्तता का सम्मान करने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें गर्भपात से संबंधित मामले भी शामिल हैं।

परिणामस्वरूप, यह माना गया कि उसकी सहमति के बिना उसके गर्भ को समाप्त करने का उच्च न्यायालय का आदेश उसके अधिकारों का उल्लंघन था।

3. विकलांग व्यक्तियों के लिए उचित आवास

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 2(वाई) में परिभाषित "उचित समायोजन" का अर्थ आवश्यक और उचित संशोधन और समायोजन है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकलांग व्यक्ति दूसरों के साथ समान रूप से अपने अधिकारों का आनंद ले सकें, बिना किसी असंगत या अनुचित बोझ के।

9 पाटन जमाल वली बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2021 आईएनएससी 27।

10 सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन 2009 आईएनएससी 1086।

Machine Translated by Google

उचित समायोजन का सिद्धांत विकलांग व्यक्तियों को समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी को सुगम बनाने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए राज्य और निजी पक्षों के दायित्व को दर्शाता है। विकलांग व्यक्ति को उचित समायोजन से वंचित करना RPwD अधिनियम के तहत भेदभाव के बराबर है।11 सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि उचित समायोजन प्रदान करना अनिवार्य है ताकि विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर सुनिश्चित किया जा सके, वे सार्थक रूप से जीवन का आनंद ले सकें और राष्ट्र की प्रगति में योगदान दे सकें।12

न्यायाधीशों को न्याय और पूर्ण लोकतांत्रिक भागीदारी के तत्व के रूप में उचित समायोजन के सिद्धांत को समझना चाहिए, न कि समानता के विपरीत। जैसा कि एलिजाबेथ एंडरसन ने कहा, "समतावादी न्याय का उचित नकारात्मक उद्देश्य मानवीय मामलों से क्रूर भाग्य के प्रभाव को खत्म करना नहीं है, बल्कि उत्पीड़न को समाप्त करना है, जो परिभाषा के अनुसार सामाजिक रूप से लगाया गया है। इसका उचित सकारात्मक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना नहीं है कि हर किसी को वह मिले जिसके वे नैतिक रूप से हकदार हैं, बल्कि एक ऐसा समुदाय बनाना है जिसमें लोग दूसरों के साथ समानता के संबंधों में खड़े हों।"13 इस प्रकार, उचित समायोजन का सिद्धांत दान के माध्यम से कथित कमियों की भरपाई करने की आवश्यकता से नहीं निकलता है, बल्कि सामाजिक संरचनाओं की आवश्यकता है जो उन व्यक्तियों को उचित रूप से समायोजित करती है जो कानून के तहत समान सम्मान और गरिमा के हकदार हैं।

विकलांग व्यक्तियों को विशिष्ट बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिन्हें विशिष्ट उपायों के प्रावधान के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए।14 उचित समायोजन का सिद्धांत यह मानता है कि ऐसी स्थितियाँ या बाधाएँ जो विकलांग व्यक्तियों को समाज के समान सदस्य के रूप में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी से वंचित करती हैं, उन्हें हटाया जाना चाहिए या उनमें ढील दी जानी चाहिए।

उचित समायोजन का सिद्धांत यह स्वीकार करता है कि यदि विकलांगता को एक सामाजिक संरचना के रूप में सुधारा जाना है, तो समाज के सभी पहलुओं में विकलांग व्यक्तियों की प्रगति और समावेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। सामाजिक न्याय उपायों के अलावा जो वास्तविक और सार्थक समानता प्राप्त करने के लिए विकलांग व्यक्तियों को संसाधनों और अवसरों को फिर से वितरित करते हैं, यह भी माना जाना चाहिए कि विकलांग व्यक्तियों के लिए संसाधनों को कभी-कभी उचित ठहराया जाना चाहिए

11 विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016, धारा 2(एच)।

12 विकास कुमार बनाम संघ लोक सेवा आयोग 2021 आईएनएससी 78.

13 एलिजाबेथ एंडरसन, 'समानता का मतलब क्या है?' नैतिकता खंड 109, संख्या 2 (जनवरी 1999), पृष्ठ 288-289, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस.

14 जीजा घोष बनाम भारत संघ 2016 आईएनएससी 412।

Machine Translated by Google

इस आधार पर कि कुछ प्राकृतिक संपदाएँ उन समाजों में भी नुकसानदेह होती हैं जो भेदभाव नहीं करते।15

अंत में, विकलांगता से ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति की अपेक्षाएँ उसकी विकलांगता की प्रकृति के अनुसार अलग-अलग होती हैं, और परिणामस्वरूप, सामने आने वाली बाधाओं की प्रकृति भी अलग-अलग होती है। उचित समायोजन का व्यक्तिगत आयाम

उचित आवास की आवश्यकता पर जोर देने वाले विकलांग व्यक्ति और आवास प्रदान करने के कर्तव्य के तहत नियोक्ता या राज्य प्राधिकरण के बीच रचनात्मक और संवादात्मक संवाद की आवश्यकता होती है। इसलिए उचित आवास निर्धारण संबंधित व्यक्ति के परामर्श से, मामले-दर-मामला आधार पर किया जाना चाहिए।

3.1. उचित समायोजन के उदाहरण

कार्यस्थल पर सुविधाएं: विकलांग कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुलभ कार्यस्थल, लचीले कार्य घंटे, सहायक प्रौद्योगिकियां, संशोधित कार्य कर्तव्य या विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना, सभी उचित सुविधाएं हैं।

सैयद बशीर-उद-दीन कादरी बनाम नजीर अहमद शाह के मामले में , 16 अपीलकर्ता सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बीएससी स्नातक था, जिसने जम्मू और कश्मीर राज्य में 'शिक्षण मार्गदर्शक' के रूप में नौकरी के लिए आवेदन किया था। राज्य सरकार ने उसकी विकलांगता के आधार पर उसकी नियुक्ति पर आपत्ति जताई और कहा कि उसे बोलने और लिखने में कठिनाई होती है, जिससे उसके लिए शिक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना मुश्किल हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित व्यक्ति को ब्लैकबोर्ड पर लिखने में असमर्थता के प्रभाव को कम करने के लिए एक उचित समायोजन के रूप में बाहरी इलेक्ट्रॉनिक सहायता तक पहुंच दी जानी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सहायता से आरेख बनाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और इसे स्क्रीन पर एक चित्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसे न्यूनतम प्रयास के साथ प्रक्षेपित किया जा सकता है।

रविन्द्र कुमार धारीवाल बनाम भारत संघ मामले में , 17 अपीलकर्ता केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक कर्मी था, जो जुनूनी-बाध्यकारी विकार और नैदानिक अवसाद का सामना करने लगा था। अपीलकर्ता के खिलाफ उसके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी

15 लिंडा बार्कले, 'विकलांगता, सम्मान और न्याय' जर्नल ऑफ एप्लाइड फिलॉसफी 27(2), 154-171 (2010)।

16 सैयद बशीरुद्दीन कादरी बनाम नजीर अहमद शाह 2010 आईएनएससी 140।

17 रविन्द्र कुमार धारीवाल बनाम भारत संघ 2021 आईएनएससी 916।

Machine Translated by Google

पुलिस उप महानिरीक्षक ने कहा कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वह खुद और दूसरों के लिए खतरा हो सकता है। शिकायत के अनुसार, अपीलकर्ता के खिलाफ जांच शुरू की गई और उसे सेवा से निलंबित कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न देशों में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और कानूनों का आकलन करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि मानसिक स्वास्थ्य विकार वाले व्यक्तियों को कार्यस्थल पर भेदभाव के खिलाफ अधिकार है और वे उचित समायोजन के हकदार हैं।18 मानसिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए उचित समायोजन के उदाहरणों में शांत कार्यालय स्थान, पर्यवेक्षी तरीकों में बदलाव और घर से काम करने की अनुमति शामिल हो सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 20(4) मानसिक विकलांग व्यक्तियों को उचित आवास की गारंटी देती है।19 सरकारी प्रतिष्ठान का सकारात्मक दायित्व है कि वह सेवा के दौरान विकलांगता प्राप्त करने वाले कर्मचारी को समान वेतनमान और सेवा लाभ के साथ उपयुक्त पद पर स्थानांतरित करे।

प्रावधान में आगे कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी को किसी पद पर समायोजित करना संभव नहीं है, तो उन्हें उपयुक्त पद उपलब्ध होने तक या जब तक वे सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, जो भी पहले हो, तब तक अतिरिक्त पद पर रखा जा सकता है।

शैक्षिक समायोजन: विकलांग छात्रों को सुलभ शिक्षण सामग्री, सहायक उपकरण, परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय, नोट लेने में सहायता, या पाठ्यपुस्तकों के लिए वैकल्पिक प्रारूप प्रदान करना, ये सभी समायोजन दर्शाते हैं।

विकास कुमार बनाम संघ लोक सेवा आयोग के मामले में , 20 सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए उचित समायोजन क्या है। यह मामला एक ऐसे व्यक्ति से संबंधित था, जिसे पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थिति थी, जिसके कारण राइटर्स क्रैम्प की समस्या थी, जिसके कारण उसे लिखने में अत्यधिक कठिनाई होती थी। यूपीएससी ने उसे सिविल सेवा परीक्षा के लिए लेखक देने से मना कर दिया था, क्योंकि वह बेंचमार्क विकलांगता (निर्दिष्ट विकलांगता का 40% या उससे अधिक) वाले व्यक्ति की परिभाषा में नहीं आता था। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राइटर्स क्रैम्प या डिस्ग्राफिया से पीड़ित व्यक्ति, जिसे बेंचमार्क विकलांगता के रूप में प्रमाणित नहीं किया गया है, भारत की सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) में लेखक का हकदार है, क्योंकि यह "उचित समायोजन" का गठन करता है। न्यायालय ने माना कि जिन लोगों की विकलांगता पूरी नहीं हो सकती, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकतीं।

18 वही [65].

19 वही [100].

20 विकास कुमार बनाम संघ लोक सेवा आयोग 2021 आईएनएससी 78.

Machine Translated by Google

40% की मात्रात्मक सीमा (बेंचमार्क विकलांगता) लेकिन फिर भी एक लेखक और अतिरिक्त समय की उचित व्यवस्था के अनुदान के योग्य होने के लिए पर्याप्त रूप से अक्षम हैं, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए, उचित सुविधा में स्क्रीन आवर्धन सॉफ्टवेयर या स्क्रीन रीडर (जो कंप्यूटर स्क्रीन पर सामग्री को यांत्रिक आवाज़ में बोल सकता है) शामिल हो सकता है। इसमें ब्रेल में उपलब्ध कराई गई सामग्री और दृष्टिबाधित सहायक भी शामिल हो सकते हैं।

श्रवण बाधित व्यक्ति के लिए, उचित सुविधा में स्पीच-टू-टेक्स्ट कन्वर्टर्स, सांकेतिक भाषा दुभाषियों तक पहुंच, कैप्शनिंग, ध्वनि प्रवर्धन प्रणालियां, या ऐसे कमरे शामिल हो सकते हैं, जिनमें गूँज समाप्त हो और होंठ पढ़ना संभव हो।

डिस्लेक्सिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए उचित सुविधा में निम्नलिखित तक पहुंच शामिल हो सकती है:
उनकी आवश्यकताओं और प्रतिपूरक समय की पूर्ति के लिए उपयुक्त कंप्यूटर प्रोग्राम।

नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड बनाम संघ लोक सेवा आयोग,21 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सिविल सेवा परीक्षाओं में दृष्टिहीन उम्मीदवारों को प्रतिपूरक समय देने से इनकार करना उनके अधिकारों का उल्लंघन है और आयोग को आदेश दिया कि वह उम्मीदवारों को अतिरिक्त समय और लेखकों की सुविधा सहित उचित सुविधाएं प्रदान करे।

परिवहन सुविधाएं: गतिशीलता या संवेदी विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए रैम्प, लिफ्ट, निर्दिष्ट बैठने की व्यवस्था, तथा श्रवण संबंधी घोषणाएं उपलब्ध कराकर सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में सुगम्यता सुनिश्चित करना, सभी उचित सुविधाएं हैं।

जीजा घोष बनाम भारत संघ के मामले में , [22] सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित एक व्यक्ति को उसकी विकलांगता के कारण विमान से उतार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने विकलांग व्यक्तियों के हवाई यात्रा के अधिकार की पुष्टि की। न्यायालय ने एयरलाइनों को नीतियाँ बनाने और विकलांग यात्रियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को भी निर्देश दिया कि वह

21 नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड बनाम संघ लोक सेवा आयोग 1993 आईएनएससी 110.

22 जीजा घोष बनाम भारत संघ 2016 आईएनएससी 412।

Machine Translated by Google

'नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं' में 'वाहन द्वारा परिवहन' के लिए प्रावधान शामिल करने पर विचार करें
विकलांग व्यक्तियों और/या कम गतिशीलता वाले व्यक्तियों की वायु', जिसमें निम्नलिखित शामिल थे:

सभी हवाई अड्डों को मानकीकृत उपकरणों की अनुसूची के आधार पर सभी सहायक उपकरण खरीदने चाहिए और यह मानकीकरण विकलांगता मामलों के विभाग के परामर्श से किया जाना चाहिए।

विकलांग व्यक्तियों के लिए, उड़ान से संबंधित आवश्यक जानकारी का संचार सुलभ प्रारूप में होना चाहिए। इसी तरह, उड़ान के दौरान मनोरंजन भी सुलभ प्रारूप में उपलब्ध होना चाहिए।

केबिन क्रू को यात्री को विमान में चढ़ने और उतरने में सहायता करनी चाहिए तथा यदि अनुरोध किया जाए तो विमान में गलियारे वाली कुर्सी का उपयोग करके शौचालय तक पहुंचने में सहायता करनी चाहिए।

दिव्यांगजनों की शिकायतों के समाधान के लिए प्रत्येक हवाई अड्डे पर एक शिकायत समाधान अधिकारी (सीआरओ) तैनात किया जाएगा।

सार्वजनिक सेवा सुविधाएं: सरकारी कार्यालय, मतदान केंद्र, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य सार्वजनिक सेवाएं वास्तुशिल्प संशोधनों, सांकेतिक भाषा दुभाषियों, सुलभ वेबसाइटों और अन्य सुविधाओं के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ होनी चाहिए।

राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ मामले में , 23 याचिकाकर्ता, जो दृष्टिबाधित व्यक्ति था, ने विकलांग व्यक्तियों की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर उचित और पर्याप्त पहुँच के लिए एक जनहित याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि विकलांग व्यक्तियों को गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच प्रदान करने के लिए विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 2016 राज्य पर कर्तव्य डालता है और विकलांग व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों तक पहुँचने से रोकने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाने की आवश्यकता है:

आवश्यक सुलभ मानकों को शामिल करके सार्वजनिक स्थानों के द्वारों को सुलभ बनाना। अधिक विशेष रूप से, उन्हें इतना चौड़ा बनाया जाना चाहिए कि व्हीलचेयर आसानी से गुजर सकें और व्हीलचेयर को अंदर प्रवेश करने के बाद मुड़ने के लिए पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए।

23 राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ 2017 आईएनएससी 1243।

Machine Translated by Google

सीढ़ियों को चौड़ी पीली रेखा से चिह्नित किया जाना चाहिए ताकि दृष्टिबाधित व्यक्ति ढाल में अंतर को समझ सकें।

हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों आदि स्थानों पर यात्रियों को सार्वजनिक घोषणा प्रणालियों के माध्यम से उनकी उड़ान/ट्रेन के विवरण जैसे कि बोर्डिंग के लिए गेट नंबर आदि के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी दी जानी चाहिए।

प्रवेश द्वार के पास कम से कम 3-5 पार्किंग स्थान विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होने चाहिए। यह स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना चाहिए।

सभी अनावश्यक अवरोधों को हटाया जाना चाहिए, और सभी पहुंच मार्गों पर अच्छी रोशनी होनी चाहिए। इसके अलावा, स्पष्ट संकेत-चिह्न और ब्रेल लिपि के समकक्ष चिह्न लगाए जाने चाहिए।

लिफ्टों पर स्पष्ट ब्रेल संकेत और श्रवण प्रतिक्रिया होनी चाहिए। लिफ्टों के बटन व्हीलचेयर से सुलभ होने चाहिए। लिफ्टों और शौचालयों जैसे अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के पास चित्रलेख लगाए जाने चाहिए।

सार्वजनिक स्थानों पर काम करने वाले कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे विकलांग व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझ सकें। उन्हें इन चुनौतियों से निपटने के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में बताया जाना चाहिए।

हर सार्वजनिक स्थान पर व्हीलचेयर और मोबिलिटी स्कूटर उपलब्ध होने चाहिए।

न्यायालय ने राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण सरकारी भवनों, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों आदि की सुगम्यता ऑडिट करने तथा उन्हें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पूर्णतः सुगम्य बनाने का भी निर्देश दिया।

3.2. सुलभता बनाम उचित आवास

सुलभता और उचित समायोजन के बीच कानूनी अंतर को पहचानना महत्वपूर्ण है। सुलभता के सिद्धांत के लिए यह आवश्यक है कि सभी पेशकशें सार्वभौमिक डिजाइन के सिद्धांत के अनुरूप हों। पेशकश को डिजाइन करते समय सुलभता पर विचार किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, उचित समायोजन उन विशिष्ट स्थितियों पर लागू होता है, जहां या तो सुलभता उपाय लागू नहीं किए गए हैं या किसी विशेष व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं ।24

24 विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति, 'अनुच्छेद 9: पहुंच' पर सामान्य टिप्पणी 2, (सीआरपीडी/सी/जीसी/2, 2014) <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g14/033/13/pdf/g1403313.pdf> 6 सितंबर 2024 को एक्सेस किया गया.

Machine Translated by Google

सुगम्यता प्रदान करने का दायित्व प्रत्याशित आधार पर लागू होता है तथा उचित आवास प्रदान करने का दायित्व प्रत्याशित आधार पर लागू होता है।25

उदाहरण के लिए: प्रश्न पत्र को सुलभ प्रारूपों में उपलब्ध कराना, जैसे कि बड़े प्रिंट और सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में, सुलभता का गठन करता है। यदि कोई विशेष छात्र अपनी दृष्टिहीनता के कारण ब्रेल में पेपर प्राप्त करना चाहता है, तो इसकी अनुमति देने का प्रावधान करना एक उचित समायोजन होगा।

सार्वभौमिक डिजाइन के सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण का डिजाइन और संरचना इस तरह से होनी चाहिए कि सभी लोग इसे अपनी आयु, आकार, क्षमता या विकलांगता की परवाह किए बिना अधिकतम संभव सीमा तक उपयोग कर सकें, समझ सकें और इसका उपयोग कर सकें। पर्यावरण और इसके सभी घटकों को उन सभी लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए जो इसका उपयोग करना चाहते हैं।26 आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुसार सभी डोमेन में पेशकश सुलभ होनी चाहिए: इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सामान27 से लेकर भौतिक बुनियादी ढांचे तक।28

3.3. अनुचित/अनुपातहीन बोझ बचाव

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 2(वाई) में कहा गया है कि किसी विशेष मामले में असंगत या अनुचित बोझ डाले बिना उचित सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। विकास कुमार बनाम संघ लोक सेवा आयोग में,

29 सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस बचाव की व्याख्या कैसे की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उचित समायोजन अपने स्वभाव से ही यथास्थिति से अलग हो जाते हैं और इस प्रकार कुछ जटिलताएँ पैदा करते हैं।30

इसलिए, नियोक्ता या राज्य प्राधिकरण की ओर से जटिलताएं या अतिरिक्त प्रयास, उचित समायोजन करने का एक अपरिहार्य परिणाम है।31 न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल तभी बचाव लागू होगा जब ऐसी जटिलताओं के कारण असंगत या अनुचित बोझ उत्पन्न हो ।32

25 वही.

26 यूनिवर्सल डिज़ाइन में उत्कृष्टता केंद्र, 'यूनिवर्सल डिज़ाइन के बारे में' <https://universaldesign.ie/about-universal-design> 1 सितंबर 2024 को एक्सेस किया गया.

27 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 धारा 42।

28 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 धारा 44।

29 विकास कुमार बनाम संघ लोक सेवा आयोग 2021 आईएनएससी 78.

30 वही [54].

31 वही.

32 वही.

Machine Translated by Google

न्यायालय ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ("यूएनसीआरपीडी") के इर्द-गिर्द मौजूद साहित्य के आधार पर अपनी टिप्पणियां कीं, ताकि यह ध्यान दिया जा सके कि बचाव को एक वस्तुनिष्ठ तरीके से समझा जाना चाहिए, जिसमें सभी प्रासंगिक विचारों को शामिल किया जाना चाहिए।33 समिति के अनुसार, अनुचित बोझ का परीक्षण केस-दर-केस दृष्टिकोण पर किया जाना चाहिए, जिसमें कई कारकों पर विचार किया जाना चाहिए, जैसे कि "वित्तीय लागत, उपलब्ध संसाधन (सार्वजनिक सब्सिडी सहित), समायोजित करने वाले पक्ष का आकार (पूरी तरह से), संस्थान या उद्यम पर संशोधन का प्रभाव, तीसरे पक्ष के लाभ, अन्य व्यक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव और उचित स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताएं।"34

यह पता लगाने के लिए कि असंगत/अनुचित बोझ उत्पन्न किए बिना क्या सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं, नियोक्ता और राज्य प्राधिकरण विकलांगता अधिकार विशेषज्ञों का समर्थन भी प्राप्त कर सकते हैं, जो उद्योग प्रथाओं, अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों और विकलांगता अधिकार आंदोलन के भीतर नवीनतम विचारों का उपयोग करके उपयुक्त मध्य मार्ग प्रदान कर सकते हैं।35

4. विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेशी कार्यस्थल

समावेशी और सुलभ कार्यस्थल बनाना सिर्फ़ कानूनी मानकों का पालन करने से कहीं ज़्यादा है, इसमें विविधता को अपनाना, संवेदनशीलता को बढ़ावा देना और सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना शामिल है। इसे हासिल करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों, सहानुभूतिपूर्ण संचार और ऐसी संस्कृति की ज़रूरत होती है जो हर व्यक्ति के योगदान को महत्व देती हो।

प्रभावी संचार और संवेदनशीलता: एक वास्तविक समावेशी कार्यस्थल सम्मानजनक और विचारशील संचार से शुरू होता है। विकलांग व्यक्तियों से सीधे जुड़ें, उनके दोस्तों, रिश्तेदारों या साथियों के बजाय उन्हें संबोधित करें। बिना किसी हीन भावना या अत्यधिक सरलता के स्पष्ट, सीधी भाषा का प्रयोग करें।

33 वही [61].

34 ibid [49]; विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति, 'अनुच्छेद 5: समानता और गैर-भेदभाव' पर सामान्य टिप्पणी 6 (सीआरपीडी/सी/जीसी/6, 2018), पैरा 26(ई) <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g18/119/05/pdf/g1811905.pdf> 30 अगस्त 2024 को एक्सेस किया गया.

35 राहुल बजाज, इशिका गर्ग, अहसनात मोकारिम, 'विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत अनुचित बोझ: खोज में एक निश्चित कानूनी मानक' (2024) खंड 16(3) एनयूजेएस लॉ रिव्यू।

Machine Translated by Google

उदाहरण के लिए, अंधेपन से पीड़ित किसी व्यक्ति की सहायता करते समय कोई व्यक्ति कह सकता है, "वेबसाइट को स्क्रीन रीडर के साथ संगत होने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसलिए इसे नेविगेट करना आपके लिए सरल होना चाहिए। यदि आपको कोई समस्या आती है, तो कृपया मुझे बताएं।"

कहने के विपरीत,

"मुझे पता है कि स्क्रीन पर पढ़ना आपके लिए मुश्किल है, मैं आपको समझाता हूँ कि इसे कैसे करना है ताकि आप परेशान न हों। यदि आप मेरे निर्देशों का पालन करते हैं, तो आप इसे मैनेज कर पाएँगे।"

वैकल्पिक संचार विधियों को शामिल करना भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए, सुनने या बोलने में अक्षम कर्मचारियों के लिए, स्पीच-टू-टेक्स्ट सॉफ़्टवेयर या विज़ुअल एड्स जैसे उपकरण उनकी पूर्ण भागीदारी को सुविधाजनक बना सकते हैं। विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संचार शैलियों को अपनाने से ऐसा माहौल बनता है जहाँ हर कोई शामिल और सम्मानित महसूस करता है।

भौतिक पहुँच और कार्यस्थल अनुकूलनशीलता: भौतिक पहुँच समावेशी वातावरण बनाने के लिए मौलिक है। रैंप और सुलभ शौचालय जैसी कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करने के अलावा, स्पष्ट, उच्च-विपरीत संकेत, बाधा-मुक्त मार्ग और सुलभ प्रवेश द्वार अधिक स्वागत योग्य वातावरण में योगदान करते हैं। इसके अलावा, कार्यस्थलों को विविध आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। समायोज्य डेस्क, एर्गोनोमिक कुर्सियाँ, लचीले वर्कस्टेशन सेटअप या स्क्रीन रीडर जैसे सहायक उपकरण प्रदान करके यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि विकलांग व्यक्ति आराम से और कुशलता से काम कर सकें।

समावेशी भर्ती, प्रशिक्षण और समान अवसर: भर्ती प्रथाओं को विकलांग व्यक्तियों सहित प्रतिभा की एक विविध श्रेणी को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। नौकरी की पोस्टिंग में समावेशिता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाया जाना चाहिए और यह वर्णन किया जाना चाहिए कि समायोजन कैसे किया जाएगा। साक्षात्कार सुलभ स्थानों पर आयोजित किए जाने चाहिए, और आवश्यकता पड़ने पर सांकेतिक भाषा दुभाषियों या मूल्यांकन के लिए विस्तारित समय जैसी सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए। RPwD अधिनियम की धारा 21 के अनुरूप एक प्रभावी समान अवसर नीति को सक्रिय रूप से विविधता को बढ़ावा देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकलांगता की परवाह किए बिना सभी कर्मचारियों को कैरियर में उन्नति के अवसरों तक समान पहुँच मिले।

समावेशी संस्कृति और निरंतर सुधार: समावेशी संस्कृति के निर्माण के लिए निरंतर प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती है। नियमित संवेदीकरण कार्यक्रम, आंतरिक कार्यशालाएँ,

K D Mallikarjuna

Machine Translated by Google

सभी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि उन्हें अचेतन पूर्वाग्रहों को दूर करने में मदद मिल सके तथा विकलांग सहकर्मियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना सिखाया जा सके।
अधिक समावेशी कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण भी लागू किया जाना चाहिए। कर्मचारी संसाधन समूहों जैसे सहायता नेटवर्क बनाने से विकलांग कर्मचारियों के लिए एक समुदाय उपलब्ध होता है। निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्धता में नियमित प्रतिक्रिया, सर्वोत्तम प्रथाओं पर अद्यतन रहना और नई सहायक तकनीकों को अपनाना शामिल है। यह सक्रिय दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि कार्यस्थल सभी कर्मचारियों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित हो, जिससे ऐसा माहौल बने जिसमें हर कोई सफल हो सके।

5. विकलांग वकीलों और वादियों के लिए समावेशी न्यायालय

न्याय तक पहुँच के संदर्भ में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यूएनसीआरपीडी "कानून के समान लाभ" के सिद्धांत पर प्रकाश डालता है,36 जो यह अनिवार्य करता है कि राज्यों को विकलांग व्यक्तियों के लिए न्याय में बाधाओं को दूर करना चाहिए। इसमें न केवल विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है, बल्कि कानून के साथ सक्रिय जुड़ाव को सक्षम करना और अधिकारों को प्रभावी ढंग से लागू करने की क्षमता को सुविधाजनक बनाना भी शामिल है।

न्यायालयों और न्यायालयों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के रूप में, न्यायाधीशों की यह जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि विकलांग व्यक्ति न्याय तक पहुँच सकें और कानूनी प्रणाली में पूरी तरह से भाग ले सकें। जबकि प्रशासनिक भूमिकाओं में न्यायाधीशों की यह सुनिश्चित करने में एक अनूठी भूमिका होती है कि न्यायालय शारीरिक और डिजिटल रूप से सुलभ हों, हर न्यायाधीश की अपनी भूमिका होती है।

विकलांग वकीलों और वादियों को कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो कानूनी कार्यवाही में उनकी प्रभावी भागीदारी को बाधित कर सकती हैं। निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए, न्यायालय प्रणाली के भीतर इन बाधाओं को दूर करना महत्वपूर्ण है। विकलांग वकीलों और वादियों का समर्थन करने के लिए न्यायाधीशों के लिए कई प्रमुख अभ्यासों में शामिल होना चाहिए:37

यदि व्यक्ति विकलांगता का मुद्दा नहीं उठाता है

आरम्भ में, न्यायालय में विकलांग व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन विकलांगता से जुड़े कलंक या किसी अन्य कारण से वह इस मुद्दे को नहीं उठा सकता।

36 विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, अनुच्छेद 5.

37 राहुल बजाज, संजय जैन, 'समावेशी अदालती कार्यवाही के लिए, विकलांग वकीलों के लिए उचित आवास सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है,' द हिंदुस्तान टाइम्स (14 अगस्त, 2023) <https://www.hindustantimes.com/opinion/for-inclusive-court-proceedings-ensuring-reasonable-accommodation-for-lawyers-with-disabilities-is-vital-101692025296404.html >

Machine Translated by Google

अपने अधिकारों और सुविधाओं के बारे में जागरूकता का अभाव।
कार्यवाही शुरू होने से पहले, न्यायाधीशों को अपने न्यायालय कक्ष के चारों ओर देखना चाहिए तथा विचार करना चाहिए कि क्या उपस्थित सभी लोग (शारीरिक तथा आभासी दोनों रूप से) प्रभावी रूप से भाग ले सकते हैं।38 यदि संदेह हो, तो न्यायाधीशों को ऐसे किसी भी व्यक्ति से पूछना चाहिए, जिसे पूर्ण भागीदारी में बाधा का अनुभव हो रहा हो, कि क्या वे सहज हैं।39 कई विकलांगताएं, विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य की स्थितियाँ, तुरंत दिखाई नहीं दे सकती हैं, लेकिन न्यायाधीशों को ऐसे किसी भी संकेत के प्रति सचेत रहना चाहिए, जिससे पता चले कि कार्यवाही में किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से शामिल करने के लिए समायोजन की आवश्यकता है।40

सुलभ दस्तावेज़ और संचार

न्यायाधीशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी केस दस्तावेज़ सुलभ प्रारूप में उपलब्ध कराए जाएं और न्यायालय रजिस्ट्री इस सुविधा के लिए सुसज्जित हों। गैर-मौखिक संकेत, जैसे कि सिर हिलाना या हाथ उठाना, मौखिक रूप से व्यक्त किए जाने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दृष्टिबाधित वकील और वादी उन्हें समझ सकें। श्रवण बाधित वकीलों और वादियों के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित सुनवाई का लाइव ट्रांसक्रिप्शन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। वाक् बाधित वकीलों को अतिरिक्त लिखित नोट्स या सबमिशन जमा करके और दुभाषियों का उपयोग करके अपने मामलों पर प्रभावी ढंग से बहस करने की अनुमति दी जानी चाहिए। श्रवण या वाक् बाधित लोगों के लिए दुभाषियों की उपस्थिति को यह सुनिश्चित करने की अनुमति दी जानी चाहिए कि प्रत्येक वकील और वादी न्यायालय कक्ष में पूरी तरह से और समान रूप से भाग ले सकें। इस तरह का सक्रिय संचार और समायोजन एक

ऐसा वातावरण जहां सभी प्रतिभागी समान रूप से भाग ले सकें।

ब्रेक और स्थगन

न्यायाधीशों को विकलांग वकीलों और वादियों को आवश्यक जानकारी जुटाने में सहायता करने के लिए अवकाश या लघु स्थगन देने के लिए तैयार रहना चाहिए।
उन्हें सूचना के प्रसंस्करण में अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए कार्यवाही में अनावश्यक देरी किए बिना उनकी प्रभावी भागीदारी के लिए ब्रेक महत्वपूर्ण है।

38 इंग्लैंड और वेल्स की न्यायपालिका, समान उपचार बेंच बुक (न्यायालय और न्यायाधिकरण न्यायपालिका, 2024 संस्करण) 74, 91 <https://www.sentencecouncil.org.uk/wp-content/uploads/Equal-Treatment-Bench-Book.pdf> 13 सितंबर 2024 को एक्सेस किया गया.

39 वही.

40 वही.

Machine Translated by Google

आवास के लिए अनुरोध को जिम्मेदारियों से बचने के प्रयास के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

उदाहरण के लिए, अंधेपन और कम दृष्टि वाले वकील भारी भरकम केस फाइलों को देखने के लिए स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर पर निर्भर हो सकते हैं। यह देखते हुए कि ऐसी सहायक तकनीकों से अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने में अधिक समय लग सकता है (जैसे, किसी बड़े दस्तावेज़ के किसी खास पृष्ठ पर किसी खास तारीख का पता लगाना), इन वकीलों को उनकी विकलांगता के कारण होने वाली देरी के लिए दंडित या आलोचना नहीं की जानी चाहिए।

इसके बजाय, न्यायाधीशों को बहुत कम समय के लिए स्थगन देने पर विचार करना चाहिए, जैसे कि दोपहर के भोजन के बाद के सत्र तक का समय या कुछ दिनों के भीतर एक छोटी सी तारीख, ताकि इन वकीलों को अदालत की प्रभावी ढंग से सहायता करने के लिए आवश्यक समय मिल सके। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि इन वकीलों पर विकलांग व्यक्तियों की दक्षता से मेल खाने के लिए अनुचित दबाव न हो, साथ ही उनके मुवक्किलों के हितों की भी रक्षा हो।

जूनियर और दुभाषियों से सहायता

जूनियर या सहकर्मियों को दस्तावेजों के उन हिस्सों को पढ़ने की अनुमति देना जो विकलांग वकीलों के लिए दुर्गम हैं, उनके वकालत प्रयासों में महत्वपूर्ण रूप से मदद कर सकता है। श्रवण बाधित वकीलों के लिए, सांकेतिक भाषा दुभाषियों की पूर्व-व्यवस्था करने के लिए सिस्टम स्थापित करना कार्यवाही के दौरान संचार बाधाओं को दूर करने में मदद करता है।

समावेशन और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देना

विकलांग वकीलों के करियर को आगे बढ़ाने में न्यायाधीश महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
विकलांगता से संबंधित मामलों में उन्हें एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त करना या न्यायिक अकादमियों में अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित करना उनकी आवाज़ को बुलंद कर सकता है और कानूनी समुदाय को मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। इसके अलावा, विकलांग व्यक्तियों को विशिष्ट भूमिकाओं (जैसे केवल डेस्क जॉब करना या केवल ब्रीफिंग काउंसल) तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए, या उन्हें अक्षम के रूप में लेबल नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालयों और कार्यालयों को इस रूढ़िवादी धारणा के आधार पर विकलांग व्यक्तियों को इंटर्नशिप या शोध सहायक पद देने से इनकार नहीं करना चाहिए कि ऐसे इंटर्न काम में कोई मूल्य नहीं जोड़ेंगे और बोझ बनेंगे। ध्यान एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने पर होना चाहिए जहाँ विकलांगता से ग्रस्त हर व्यक्ति अपने चुने हुए करियर पथ में सफल हो सके, जिसे सभी हितधारकों का समर्थन प्राप्त हो।

Machine Translated by Google

न्यायालय कर्मचारियों को संवेदनशील बनाना

न्यायालयों में समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि न्यायालय प्रशासनिक कर्मचारियों, जिनमें स्टेनोग्राफर, न्यायालय सहायक और न्यायालय मास्टर शामिल हैं, को विकलांग व्यक्तियों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने के लिए उचित प्रशिक्षण प्राप्त हो।

सुगम्यता समितियां

सभी उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों को न्यायालयों में इन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक सुगम्यता समिति की स्थापना करनी चाहिए।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति ने इन समितियों की संरचना इस प्रकार बताई है:

- उच्च न्यायालयों के लिए: समिति में एक उच्च न्यायालय न्यायाधीश, एक रजिस्ट्रार स्तर का अधिकारी, दो सहायक रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी, एक तकनीकी विशेषज्ञ, एक कर्मचारी सदस्य और एक या दो अधिवक्ता शामिल होने चाहिए। यह वांछनीय है कि समिति के एक या दो सदस्य विकलांग व्यक्ति हों।

- जिला न्यायालयों के लिए: समिति में एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, एक सिविल न्यायाधीश/न्यायिक मजिस्ट्रेट, एक अधिवक्ता और एक जिला प्रणाली प्रशासक शामिल होना चाहिए। समिति के एक या दो सदस्य विकलांग व्यक्ति होने चाहिए।41

अदालती प्रक्रिया के दौरान, दस्तावेज़ दाखिल करने से लेकर दलीलें पेश करने तक, उचित समायोजन को एक बुनियादी अधिकार के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए, न कि एहसान या बातचीत के साधन के रूप में। इन समायोजनों को ग्राहकों के हितों से समझौता करने या देरी का कारण बनने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके बजाय, एक सहायक संस्कृति बनाना आवश्यक है जो आवश्यक समायोजनों को स्वीकार करती है, भले ही उनसे जुड़ी लागतें और जटिलताएँ हों।

भारत में कानूनी ढांचा प्रत्येक वादी को स्व-प्रतिनिधित्व का अधिकार देता है, यह अधिकार विकलांग व्यक्तियों पर भी समान रूप से लागू होता है। जब ऐसे वादी खुद का प्रतिनिधित्व करने का विकल्प चुनते हैं, तो यह सुनिश्चित करना अनिवार्य हो जाता है कि उन्हें अपनी पूर्ण और सार्थक भागीदारी की सुविधा के लिए आवश्यक सुविधाएँ, उपकरण और तकनीक उपलब्ध हो।

41 ई-समिति, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, 'सुलभ न्यायालय दस्तावेज तैयार करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया', पैरा 31-
32 <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s388ef51f0bf911e452e8dbb1d807a81ab/uploads/2022/11/2022112997.pdf> 13 सितंबर 2024 को एक्सेस किया गया.

Machine Translated by Google

न्यायिक प्रक्रिया में। उचित समायोजन प्रदान करने में विफलता न्यायिक प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल होने की उनकी क्षमता को प्रतिबंधित करती है।

अंत में, विकलांग व्यक्तियों को उच्च-गुणवत्ता वाली कानूनी सहायता प्रदान करने की संस्कृति स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है। विकलांगता और गरीबी के बीच मजबूत संबंध को देखते हुए, कई विकलांग व्यक्तियों को अदालतों तक पहुँचने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है और अक्सर उनके अधिकारों का उल्लंघन चुपचाप सहना पड़ता है। कानूनी सेवा प्राधिकरणों को विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें वह प्रतिनिधित्व मिले जिसकी उन्हें आवश्यकता है।

Machine Translated by Google

भाग-II

भाषा और विकलांगता

6. विकलांगता और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सामान्य भाषा सिद्धांत स्वास्थ्य

न्यायाधीशों द्वारा अपने निर्णयों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा का बहुत महत्व होता है और इसमें सामाजिक धारणाओं और दृष्टिकोणों को आकार देने की शक्ति होती है। जब विकलांग व्यक्तियों से जुड़े मामलों को संबोधित करने की बात आती है, तो संवेदनशील भाषा का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण होता है। न्यायाधीशों को अमानवीय या अपमानजनक शब्दावली से बचने के प्रति सचेत रहना चाहिए जो कलंक को बनाए रखती है और नकारात्मक रूढ़ियों को मजबूत करती है।

इसके बजाय, न्यायाधीशों को सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए जो विकलांग व्यक्तियों के अनुभवों को सशक्त और सटीक रूप से दर्शाती हो। इसमें पुराने या आपत्तिजनक शब्दों से बचना शामिल है जिन्हें असंवेदनशील या अपमानजनक माना जा सकता है, साथ ही ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो विकलांग व्यक्तियों को संरक्षण देती हो या उन्हें ऊंचा स्थान देती हो।

अपने निर्णयों में जानबूझकर सम्मानजनक भाषा अपनाकर, न्यायाधीश न केवल विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेशिता और सम्मान को बढ़ावा देते हैं, बल्कि दूसरों के लिए अनुसरण करने के लिए एक शक्तिशाली मिसाल भी स्थापित करते हैं। उनके शब्द गहराई से जड़ जमाए हुए पूर्वाग्रहों और गलत धारणाओं को चुनौती दे सकते हैं, जिससे इस अक्सर हाशिए पर पड़े समुदाय की अधिक समझ, स्वीकृति और समावेश की दिशा में व्यापक सामाजिक बदलाव में योगदान मिलता है।

विकलांग व्यक्तियों के संदर्भ में कुछ सामान्य दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:

किसी व्यक्ति की विकलांगता के बारे में रूढ़िवादी निर्णय लेने से बचें

यह मानने के बजाय कि सभी विकलांग व्यक्ति बहादुर, वीर, प्रेरक या पीड़ित, बोझिल और पीड़ित हैं, व्यक्ति के अनुभव के बारे में मूल्य निर्णय लेने से बचें। संदर्भ के लिए प्रासंगिक होने पर विकलांगता की प्रकृति को बताने के लिए तटस्थ भाषा का उपयोग करें। "पीड़ित" या "पीड़ित" जैसे भारयुक्त शब्दों का उपयोग करने के बजाय, कहें "इस व्यक्ति को [स्थिति] है"

Machine Translated by Google

चिकित्सा स्थितियों से संबंधित विश्वसनीय निदान

किसी चिकित्सा स्थिति के अस्तित्व का अनुमान न लगाएं। किसी चिकित्सा स्थिति का निदान किसी लाइसेंस प्राप्त चिकित्सा या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर द्वारा किया जाना चाहिए। यदि ऐसी पुष्टि अनुपस्थित है या संभव नहीं है, तो शब्द के चारों ओर उद्धरण चिह्नों का उपयोग करें - उदाहरण के लिए, "द्विध्रुवी विकार" या "मस्तिष्क पक्षाघात होने की बात कही गई है" जैसी योग्यतापूर्ण भाषा का उपयोग करके यह इंगित करें कि कोई निर्णायक चिकित्सा निदान मौजूद नहीं है।

किसी व्यक्ति की विकलांगता का उल्लेख केवल तभी करें जब वह संदर्भ के लिए प्रासंगिक हो

उदाहरण के लिए, यह तथ्य कि किसी व्यक्ति को चलने-फिरने में दिक्कत है, वसीयत की प्रामाणिकता से संबंधित मामले में उनकी गवाही की विश्वसनीयता के लिए प्रासंगिक नहीं है। दूसरी ओर, यह तथ्य कि किसी हत्या के गवाह, जिसकी जांच केवल इस कारण से की जा रही है कि उसने हत्या होते हुए देखी है, को दृष्टि संबंधी दिक्कत है, गवाही को दिए गए मूल्य को निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक होगा और इस प्रकार इसका उल्लेख किया जाएगा।

किसी व्यक्ति को केवल उसकी विकलांगता से पहचानने से बचें

किसी विकलांगता को किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अनिवार्य गुण मानने या परिभाषित करने के बजाय, यह मान लें कि उनकी विकलांगता उनके व्यक्तित्व का एक पहलू है।

व्यक्तियों से पूछें कि वे अपनी विकलांगता का वर्णन किस प्रकार करना चाहेंगे

जब संभव हो, तो संबंधित व्यक्ति से पूछें कि वे किस तरह से वर्णित होना पसंद करेंगे। जब यह संभव न हो, तो किसी विश्वसनीय पारिवारिक सदस्य, देखभाल करने वाले, चिकित्सा पेशेवर, कानूनी प्रतिनिधि या विकलांग व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन से सलाह लें। विकलांग व्यक्तियों को अक्सर बातचीत में नजरअंदाज कर दिया जाता है और वक्ता अक्सर उनके साथ आए उनके दोस्तों या रिश्तेदारों से बात करता है। इस प्रवृत्ति से बचें और जहाँ तक संभव हो सीधे व्यक्ति से बात करें।

विकलांग व्यक्तियों के बीच विविधता का ध्यान रखें

विकलांगता से पीड़ित हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। यह मत मानिए कि एक ही निदान वाले लोग अपने अनुभवों या अपने आस-पास की दुनिया के बारे में एक जैसा महसूस करते हैं। हर जगह के लोगों की तरह, विकलांग व्यक्ति भी अपने अनूठे, सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भों का उत्पाद हैं।

Machine Translated by Google

संवेदनशील बनें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें

विकलांग व्यक्तियों के इर्द-गिर्द की भाषा पिछली शताब्दी में काफी विकसित हुई है और ऐसा होता रहेगा। इस संदर्भ में, व्यक्तियों के अनुभव के प्रति संवेदनशील रहें और उचित भाषा सीखने और भूलने के लिए तैयार रहें। कुछ शब्द जैसे कि "असामान्य" और "विकार" जो चिकित्सा संदर्भों में उपयोग किए जाते हैं, उन्हें गैर-चिकित्सा संदर्भों में व्यक्तियों का वर्णन करते समय वैकल्पिक शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। भाषा के बारे में मामले-दर-मामला आधार पर चुनाव करें।

7. रूढ़िबद्ध शब्द और वैकल्पिक भाषा

किसी भी अपमानजनक संदर्भ में “अपंग”, “मूर्ख”, “पागल”, “नशेड़ी”, और “मंदबुद्धि” जैसे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग न करें। “दृढ़ निश्चयी लोग”, “विशेष”, और “अलग तरह से सक्षम” जैसे कुछ शब्दों को भी अपमानजनक और आपत्तिजनक माना जाता है क्योंकि वे विकलांगता के इर्द-गिर्द की भाषा को कलंकित करते हैं। इनसे भी बचें।

विकलांग व्यक्तियों का उल्लेख करते समय कुछ प्रमुख शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए:

अशक्त; बौना; अयोग्य; असहाय; अपंग; दोषयुक्त; विकृत; अमान्य;
लंगड़ा; अपंग; विकृत; या असामान्य

बौद्धिक या सीखने संबंधी विकलांगता या मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति वाले व्यक्तियों का उल्लेख करते समय कुछ प्रमुख शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए:

पागल; सनकी; मूर्ख; विक्षिप्त; पागल; पागल; सनकी; पागल; मनोरोगी; मूर्ख; बेवकूफ; या विक्षिप्त।

“विकलांग व्यक्ति” या “विकलांग व्यक्ति”?

"विकलांग व्यक्ति" वाक्यांश का उपयोग करना एक व्यक्ति-प्रथम दृष्टिकोण है, जहाँ व्यक्ति को विकलांगता से पहले पहचाना और प्राथमिकता दी जाती है। उदाहरण के लिए, "श्रवण विकलांगता वाला व्यक्ति" के विपरीत "श्रवण विकलांग व्यक्ति"। विकलांग व्यक्तियों का उल्लेख करते समय व्यक्ति-प्रथम दृष्टिकोण सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत भाषा है और RPwD अधिनियम और UNCRPD के साथ संरेखित है। इसलिए, नीचे दी गई तालिका व्यक्ति-प्रथम दृष्टिकोण को प्राथमिकता देती है।

Machine Translated by Google

वैकल्पिक रूप से, कुछ व्यक्ति पहचान-प्रथम दृष्टिकोण को पसंद कर सकते हैं या स्वीकार्य पा सकते हैं जो वर्णन में विकलांगता को पहले स्थान पर रखता है। उदाहरण के लिए, "अंधे व्यक्ति" के बजाय "अंधेपन से पीड़ित व्यक्ति"। यदि संदेह है, तो व्यक्तियों से पूछना सबसे अच्छा है कि वे किस तरह से पहचान करना चाहते हैं।

	रूढ़िवादिता कायम रहना (अनुचित)	वैकल्पिक भाषा और स्पष्टीकरण (पसंदीदा)
	विकलांग व्यक्तियों के संदर्भ में सामान्य शब्द और वाक्यांश	
1.	ह्रष्ट-पुष्ट सामान्य स्वस्थ शरीर और/या मन का ठेठ साबुत	विकलांगता रहित व्यक्ति
2.	असामान्य अनियमित	यद्यपि "आनुवांशिक असामान्यता" जैसी वैज्ञानिक या चिकित्सा घटनाओं का उल्लेख करते समय "असामान्य" और "असामान्यता" का उपयोग करना उचित हो सकता है, लेकिन व्यक्तियों का वर्णन करते समय इन शब्दों का उपयोग करने से बचें। ऐसे शब्दों का प्रयोग यह संदेश देता है कि विकलांग व्यक्ति विचलित और अनियमित हैं। पसंदीदा भाषा होगी: विकलांग व्यक्ति या [स्थिति/हानि] से ग्रस्त व्यक्ति
3.	जन्म दोष जन्म से ही दोषपूर्ण	“दोष” शब्द का अर्थ है कि व्यक्ति में किसी तरह की कमी या अपूर्णता है। वैकल्पिक भाषा होगी: जन्मजात विकलांगता जन्म से विकलांगता विकलांगता के साथ जन्मे

Machine Translated by Google

4.	से पीड़ित बोझ से दबे ग्रसित होना से त्रस्त परेशान का शिकार	ये शब्द यह मानते हैं कि विकलांगता वाला व्यक्ति पीड़ित है। विकलांगता के बारे में धारणा बनाने के बजाय, तटस्थ भाषा का उपयोग करें जो प्रासंगिक होने पर केवल विकलांगता की प्रकृति को बताती है। उदाहरण के लिए: [विकलांगता/स्थिति/हानि] से ग्रस्त व्यक्ति व्यक्ति को [विकलांगता/स्थिति/हानि] है व्यक्ति को [विकलांगता/स्थिति/ हानि]
5.	देखभाल करने वाला (विकलांग व्यक्ति का)	केयरटेकर का मतलब संपत्ति की देखभाल करना है। दूसरी ओर, केयरगिवर का मतलब लोगों की देखभाल करना है। इसलिए, पसंदीदा शब्द होगा: देखभालकर्ता (विकलांग व्यक्ति का)
6.	अलग रूप से सक्षम	कुछ लोग इस शब्द को अनुचित और अपमानजनक मानते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अलग-अलग तरह से सक्षम होता है। यह शब्द विकलांगता के इर्द-गिर्द बोली जाने वाली भाषा को भी कलंकित करता है। वैकल्पिक भाषा होगी: विकलांग व्यक्ति [स्थिति/हानि का प्रकार] से पीड़ित व्यक्ति
7.	विकलांग पार्किंग विकलांग लोगों के लिए पार्किंग	विकलांग व्यक्तियों के लिए पार्किंग आरक्षित सुलभ पार्किंग
8.	विकलांग शौचालय विकलांग शौचालय	सुलभ शौचालय
9.	वंचित रोगी विकलांग	विकलांग व्यक्ति [स्थिति/हानि का प्रकार] से पीड़ित व्यक्ति

Machine Translated by Google

10.	प्रतिभाशाली विशेष	इस शब्द का प्रयोग विकलांग व्यक्तियों को अपमानित करने या उन्हें सौम्य रूप से लेबल करने के लिए किया जाता है। पसंदीदा भाषा होगी: विकलांग व्यक्ति [स्थिति/हानि का प्रकार] से पीड़ित व्यक्ति
11. दृढ़ निश्चयी लोग इस शब्द को तिरस्कारपूर्ण माना जाता है तथा यह विकलांग व्यक्तियों को सौम्य रूप से लेबल करता है।		पसंदीदा भाषा होगी: विकलांग व्यक्ति [स्थिति/हानि का प्रकार] से पीड़ित व्यक्ति
12. विकलांगता के साथ जी रहा व्यक्ति		विकलांग व्यक्ति [स्थिति/हानि का प्रकार] से पीड़ित व्यक्ति
13. विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति	विशेष रूप से विकलांगों	कुछ व्यक्तियों को "विशेष आवश्यकताएँ" शब्द आपत्तिजनक लगता है क्योंकि यह उन चीज़ों को लेबल करता है जो अलग हैं वैकल्पिक भाषा होगी विकलांग व्यक्ति [स्थिति/हानि का प्रकार] से पीड़ित व्यक्ति
14. आघात पीड़ित		आघात से बचे/पीड़ित (पसंद के आधार पर)
शारीरिक विकलांगता से संबंधित शब्द		
15. अपंग		वह व्यक्ति जिसका अंग विच्छेदन हो चुका है या वह व्यक्ति जिसका अंग विच्छेदन हुआ है नोट: यहां तक कि "अंग विच्छेदित व्यक्ति" शब्द भी उस व्यक्ति का वर्णन करने के लिए अनुचित होगा जिसके अंग की अनुपस्थिति किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं है। शल्य प्रक्रिया।
16.	अंधा	जैसा कि इस खंड की शुरुआत में बताया गया है, व्यक्ति-प्रथम भाषा विकलांगता-प्रथम भाषा की तुलना में अधिक व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है। इस प्रकार, "अंधे व्यक्ति" के बजाय "अंधे व्यक्ति" को चुना जा सकता है। हालाँकि, कुछ व्यक्ति "अंधे व्यक्ति" को पसंद कर सकते हैं या उसे स्वीकार्य पा सकते हैं।

Machine Translated by Google

		"अंधा" शब्द उस व्यक्ति के लिए उपयुक्त है जिसकी दृष्टि पूरी तरह या लगभग पूरी तरह नष्ट हो गई हो। अन्य शब्द जो सीमित दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं, वे हैं: कम दृष्टि वाला व्यक्ति सीमित दृष्टि वाला व्यक्ति [दृश्य विकलांगता/बाधित] व्यक्ति
17. व्हीलचेयर तक सीमित	व्हीलचेयर तक सीमित व्हीलचेयर की सीमा	व्हीलचेयर का उपयोग करने वाला व्यक्ति
18. बहरा		जैसा कि इस खंड की शुरुआत में बताया गया है, व्यक्ति-प्रथम भाषा विकलांगता-प्रथम भाषा की तुलना में अधिक व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है। इस प्रकार, “बधिर व्यक्ति” को “बधिर व्यक्ति” के बजाय चुना जा सकता है । हालाँकि, कुछ व्यक्ति “बधिर व्यक्ति” को पसंद कर सकते हैं या उसे स्वीकार्य पा सकते हैं। “बहरा” और “सुनने में कठिनाई” शब्द ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए उपयुक्त है जो पूरी तरह या लगभग पूरी तरह सुनने की क्षमता खो चुका है। सीमित सुनने की क्षमता वाले व्यक्तियों के लिए प्रासंगिक हो सकने वाले अन्य शब्द ये हैं: [श्रवण विकलांगता/हानि] वाला व्यक्ति आंशिक श्रवण हानि वाला व्यक्ति
19. गूंगा	आवाज़ बंद करना मौन	"गूंगा" या "मूक" शब्द का अर्थ है कि संचार संभव नहीं है। संबंधित व्यक्ति किस प्रकार के संचार में संलग्न है, इसका वर्णन करने के लिए विशिष्ट शब्दों का उपयोग करें। उदाहरण के लिए: वाणी विकार से ग्रस्त व्यक्ति वह व्यक्ति जो वैकल्पिक विधि का उपयोग करता है संचार वह व्यक्ति जो होंठों को पढ़ता है वह व्यक्ति जो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है वह व्यक्ति जो संवाद करने के लिए ऑडियो डिवाइस का उपयोग करता है

Machine Translated by Google

20. बौना	लंबवत चुनौती	बौनेपन से ग्रस्त व्यक्ति (यदि आनुवंशिक स्थिति का वर्णन किया गया हो) छोटे कद का व्यक्ति एकोन्ड्रोप्लासिया से पीड़ित व्यक्ति (केवल तभी जब व्यक्ति में यह स्थिति हो)
21.	व्यक्ति को पक्षाघात quadriplegic	रीढ़ की हड्डी में चोट वाला व्यक्ति (जहां सटीक हो) पैराप्लेजिया/क्वाड्रिप्लेजिया से पीड़ित व्यक्ति (यदि चिकित्सीय निदान द्वारा इसकी पुष्टि हो) लकवाग्रस्त व्यक्ति
22. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति	शारीरिक रूप से विकलांग पंगु	शारीरिक विकलांगता वाला व्यक्ति चलने-फिरने में अक्षम व्यक्ति
बौद्धिक अक्षमताओं और मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों से संबंधित शब्द		
23. व्यसनी		मादक द्रव्यों के सेवन की लत से ग्रस्त व्यक्ति या स्थिति
24.	मादक	शराब की लत वाला व्यक्ति
25. पागल	पागल पागल विक्षिप्त पागल मनुष्य मानसिक बूढ़ा अस्थिर मानसिक	मानसिक स्वास्थ्य समस्या से ग्रस्त व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य स्थिति का अनुभव करने वाला व्यक्ति वह व्यक्ति जिसे मनोभ्रंश/अल्जाइमर रोग हो, या कोई अन्य नैदानिक स्थिति हो (जहां नैदानिक निदान द्वारा समर्थित हो)

Machine Translated by Google

26. ड्रगी	जून्की मादक द्रव्यों का सेवन करने वाला	मादक द्रव्यों के सेवन की लत से ग्रस्त व्यक्ति या स्थिति
27.	मिर्गी का दौरा या दौरा	मिर्गी का दौरा
28. दुर्बल बुद्धि	बौद्धिक रूप से चुनौतीपूर्ण धीमी गति से सीखने वाला मंदबुद्धि अहमक़ मंदबुद्धि42	बौद्धिक विकलांगता वाला व्यक्ति सीखने संबंधी विकलांगता वाला व्यक्ति
29. खुशी की गोलियाँ		एंटीडिप्रेसन्ट दवाई
30.	अतिसक्रिय (ADHD से ग्रस्त व्यक्ति के बारे में)	एडीएचडी से पीड़ित व्यक्ति
31. कैदी या कैदी (मनोरोग अस्पताल के)		मरीजों ग्राहकों
32.	मानसिक रूप से बीमार	मानसिक स्वास्थ्य समस्या से ग्रस्त व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य स्थिति का अनुभव करने वाला व्यक्ति
33.	मानसिक रूप से विकलांग मानसिक रूप से विकलांग	बौद्धिक विकलांगता वाला व्यक्ति सीखने संबंधी विकलांगता वाला व्यक्ति

42 मानसिक विकारों के निदान और सांख्यिकी मैनुअल (DSM) के नवीनतम संस्करण ने "मानसिक मंदता" शब्द को "बौद्धिक विकलांगता" से बदल दिया है और अब इसे एक नैदानिक स्थिति के रूप में मान्यता दी गई है। इसी तरह, रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (ICD) ने शब्दावली को "बौद्धिक विकास के विकार" में अपडेट किया है। DSM और ICD दोनों ही मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख नैदानिक मैनुअल हैं। ये परिवर्तन "मानसिक मंदता" शब्द से जुड़े ऐतिहासिक कलंक को कम करने के लिए किए गए थे, जिसका इस्तेमाल अतीत में आम तौर पर किया जाता था। विवरण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (11वां संस्करण, मई 2019) देखें <https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases> 06 सितंबर 2024 को एक्सेस किया गया, और अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर (5वां संस्करण, 2022) <https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm/about-dsm> (06 सितंबर 2024 को अभिगमित).

Machine Translated by Google

34.	मंगोलॉयड अजीब (जब डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति का जिक्र हो)	डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति (जहां नैदानिक निदान द्वारा समर्थित हो)
35.	स्किज़ो	सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्ति (जहां नैदानिक निदान द्वारा समर्थित हो)
36.	अंधव्यवस्थात्मक स्पॅज	मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित व्यक्ति (जहां नैदानिक निदान द्वारा समर्थित हो)

8. विशिष्ट नैदानिक स्थितियां

विशिष्ट स्थितियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। इन स्थितियों का उल्लेख केवल तभी करें जब चिकित्सा निदान की पुष्टि हो और जब चिकित्सा या चिकित्सा-कानूनी संदर्भ में इसकी आवश्यकता हो। किसी व्यक्ति को "अल्बिनो", "अवसादग्रस्त" या "कुष्ठ रोगी" कहकर उसकी अक्षम प्रकृति को अनिवार्य बनाने के बजाय, विकलांगता को व्यक्ति के एक हिस्से के रूप में संदर्भित करें। उदाहरण के लिए, इसके बजाय "अल्बिनिज्म से पीड़ित व्यक्ति", "अवसाद से पीड़ित व्यक्ति", "कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति" का उपयोग करें।

अदृश्य विकलांगता वाले व्यक्तियों के सामने एक प्रमुख चुनौती यह है कि उनकी विकलांगता को विधिवत मान्यता और प्रमाणित किया जाए। लोकप्रिय कल्पना में, विकलांग व्यक्ति शब्द व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति से जुड़ा है। चूँकि अदृश्य विकलांगता वाले लोग 'सामान्य' दिख सकते हैं, इसलिए उनकी विकलांगता और चुनौतियों को अक्सर इस आधार पर कम आंका जाता है कि वे विकलांग नहीं दिखते। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि विकलांगता कई रूपों में प्रकट हो सकती है और सभी विकलांगताओं का शारीरिक रूप से प्रकट होना ज़रूरी नहीं है। चिकित्सा संदर्भों के बाहर, चिकित्सा निदान पर अत्यधिक जोर देने से व्यक्ति को अपनी विकलांगताओं, दृश्यमान या अदृश्य के कारण होने वाली वास्तविक सीमाओं का सामना करना पड़ता है।

ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार (एडीएचडी)

ध्यान-अभाव/अतिसक्रियता विकार एक दीर्घकालिक तंत्रिका-विकासात्मक स्थिति है, जो व्यक्ति की ध्यान देने, आवेगपूर्ण व्यवहारों को नियंत्रित करने और स्थिर बैठने की क्षमता को प्रभावित करती है।

एडीएचडी से पीड़ित व्यक्तियों को योजना बनाने, प्राथमिकता तय करने और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है।

Machine Translated by Google

रंगहीनता

ऐल्बिनिज़म एक आनुवंशिक स्थिति है जो मेलेनिन के उत्पादन को प्रभावित करती है, यह प्राकृतिक रंगद्रव्य है जो किसी व्यक्ति के बालों, त्वचा और आँखों का रंग निर्धारित करता है। ऐल्बिनिज़म से पीड़ित लोगों की त्वचा, बाल और आँखें पीली होती हैं। उन्हें दृष्टि संबंधी समस्याएँ भी हो सकती हैं क्योंकि मेलेनिन रेटिना के विकास को भी प्रभावित करता है।

अल्ज़ाइमर रोग

अल्जाइमर रोग मनोभ्रंश का सबसे आम प्रकार है। इसकी विशेषता प्रगतिशील स्मृति हानि और संज्ञानात्मक गिरावट है, जिससे तर्क करना, निर्णय लेना और रोज़मर्रा के काम करना मुश्किल हो जाता है।

चिंता अशांति

चिंता विकार वाले लोग बीच-बीच में चिंता की भावनाओं का सामना करते हैं। वे अक्सर ऐसी चिंता का अनुभव करते हैं जो अत्यधिक, लगातार हो सकती है और उनके दैनिक जीवन में हस्तक्षेप कर सकती है। उन्हें घबराहट के दौरे और अचानक तीव्र भय के एपिसोड का भी अनुभव हो सकता है, जिसके साथ घबराहट, सांस फूलना, चक्कर आना और कांपना भी हो सकता है।

ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार (ASD)

एएसडी एक न्यूरोडेवलपमेंटल विकलांगता है। आम तौर पर, एएसडी वाले लोगों को दूसरों के साथ घुलने-मिलने और बातचीत करने में कठिनाई होती है, और वे प्रतिबंधित या दोहराव वाले व्यवहार और रुचियों में संलग्न होते हैं। ऑटिज्म को इसके लक्षणों की व्यापक विविधता और उनकी गंभीरता के कारण "स्पेक्ट्रम" के रूप में समझा जाता है। जबकि ऑटिज्म से पीड़ित कुछ व्यक्ति स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं, दूसरों को आजीवन देखभाल और सहायता की आवश्यकता हो सकती है।

दोध्रुवी विकार

द्विध्रुवी विकार वाले लोग अवसाद (उदासी, सुस्ती और रुचि की कमी से चिह्नित) और उन्माद (उत्साह और ऊर्जा के विस्फोट की भावनाओं से चिह्नित) के बारी-बारी से एपिसोड का अनुभव करते हैं। किसी व्यक्ति के मूड में ये चरम बदलाव उसके लिए नियमित कार्य करना मुश्किल बना सकते हैं।

Machine Translated by Google

मस्तिष्क पक्षाघात

सेरेब्रल पाल्सी न्यूरोलॉजिकल स्थितियों के एक समूह को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति की चलने और संतुलन बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है। लक्षण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। गंभीर सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों को चलने के लिए विशेष सहायता की आवश्यकता हो सकती है और उन्हें आजीवन देखभाल की आवश्यकता होती है।

अवसाद

अवसाद एक आम मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है, जिसमें उदासी या उदासीनता की लगातार भावनाएँ और उन गतिविधियों में रुचि की कमी होती है, जिनका व्यक्ति आमतौर पर आनंद लेता है। अवसाद से पीड़ित व्यक्ति को घर या काम पर रोज़मर्रा की गतिविधियाँ करने में कठिनाई हो सकती है। उन्हें ऊर्जा और एकाग्रता में कमी, निराशा की भावना, भूख और नींद में बदलाव और यहाँ तक कि खुद को नुकसान पहुँचाने और आत्महत्या के विचार भी आ सकते हैं।

डाउन सिंड्रोम

डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति के पास एक अतिरिक्त गुणसूत्र होता है। यह अतिरिक्त गुणसूत्र डाउन सिंड्रोम वाले लोगों के मस्तिष्क और शरीर में विकासात्मक परिवर्तन का कारण बनता है। ये परिवर्तन अलग-अलग शारीरिक विशेषताओं और बौद्धिक अक्षमताओं के रूप में प्रकट होते हैं जो भाषा और स्मृति को प्रभावित करते हैं।

डिस्लेक्सिया

डिस्लेक्सिया एक सीखने संबंधी विकलांगता है जो मस्तिष्क द्वारा लिखित सामग्री को संसाधित करने के तरीके को प्रभावित करती है।
डिस्लेक्सिया से पीड़ित लोगों को पढ़ने और लिखने में परेशानी होती है। खास तौर पर छोटे बच्चों में जिन्हें पर्याप्त सहायता नहीं दी गई है, डिस्लेक्सिया के कारण उनमें आत्म-सम्मान की कमी की भावना पैदा हो सकती है।

मिरगी

मिर्गी एक दीर्घकालिक बीमारी है, जो बार-बार दौरे का कारण बनती है - मस्तिष्क में अनियंत्रित विद्युतीय गतिविधि का अचानक विस्फोट, जिसके कारण चेतना का नुकसान, संज्ञानात्मक और भावनात्मक परिवर्तन, तथा हाथ और पैरों की अनैच्छिक गतिविधियां हो सकती हैं।

कुष्ठ रोग

कुष्ठ रोग एक पुरानी संक्रामक वायुजनित बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। कुष्ठ रोग त्वचा, आंख, नाक और तंत्रिकाओं को प्रभावित कर सकता है। हालांकि इसका इलाज संभव है, लेकिन अगर इसका इलाज न किया जाए तो यह लकवा और अंधेपन सहित शारीरिक विकलांगता का कारण बन सकता है।

Machine Translated by Google

आतंकी हमले

पैनिक अटैक तीव्र भय या बेचैनी की अचानक वृद्धि की एक अप्रत्याशित घटना है, जिसके साथ शारीरिक लक्षण भी होते हैं, जैसे सीने में दर्द, दिल की धड़कन तेज होना, सांस लेने में कठिनाई, कंपन, ठंड लगना, मतली, पसीना आना आदि। पैनिक अटैक आमतौर पर बिना किसी चेतावनी या अक्सर किसी विशिष्ट ट्रिगर के होते हैं, जिससे उन्हें अनुभव करने वाले व्यक्ति द्वारा नियंत्रण की कमी महसूस होती है।

पार्किंसंस रोग

पार्किंसंस रोग एक प्रगतिशील न्यूरोडीजेनेरेटिव विकार है, जो मुख्य रूप से आंदोलन को प्रभावित करता है। यह स्थिति तब होती है जब मस्तिष्क में डोपामाइन का उत्पादन करने वाली तंत्रिका कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या मर जाती हैं, जिससे कंपन, गति की धीमी गति, अकड़न और संतुलन की समस्या जैसे लक्षण दिखाई देते हैं।

प्रतिबंधित विकास (बौनापन)

सीमित विकास, जिसे कभी-कभी बौनापन के रूप में जाना जाता है, एक चिकित्सा या आनुवंशिक स्थिति है जो असामान्य रूप से छोटी ऊंचाई की ओर ले जाती है। बौनेपन का सबसे आम रूप एकोंड्रोप्लासिया है, एक ऐसी स्थिति जिसमें लोगों के पास एक सामान्य आकार का धड़ होता है, लेकिन उनके हाथ और पैर अनुपातहीन रूप से छोटे होते हैं।

एक प्रकार का मानसिक विकार

सिज़ोफ्रेनिया एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जो मनोविकृति का कारण बनती है, जो व्यक्ति के वास्तविकता को देखने के तरीके को बदल देती है। सिज़ोफ्रेनिया के लक्षणों में लगातार मतिभ्रम, भ्रम, अव्यवस्थित विचार और सामाजिक जीवन से दूरी शामिल हो सकती है।

Machine Translated by Google

भाग III

कानूनी ढांचा

9. आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत प्रमुख अधिकार और दायित्व

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की नींव यूएनसीआरपीडी से जुड़ी है। भारत ने इस अधिनियम की पुष्टि की है।

यूएनसीआरपीडी बिना किसी आरक्षण के और कन्वेंशन उन अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का हिस्सा है जिन्हें भारतीय राज्य को पूरा करना चाहिए। वास्तव में, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम का लंबा शीर्षक इस प्रकार है: "विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को प्रभावी बनाने और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए एक अधिनियम।"

इसलिए, RPwD अधिनियम की व्याख्या UNCRPD में निर्धारित सिद्धांतों को प्रभावी बनाने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए की जानी चाहिए। UNCRPD का अनुच्छेद 3 "सामान्य सिद्धांत" निर्धारित करता है जो कन्वेंशन के संचालन का मार्गदर्शन करते हैं। अनुच्छेद 3 की सामग्री को RPwD अधिनियम की प्रस्तावना के हिस्से के रूप में भारतीय कानून में अधिनियमित किया गया है और इस प्रकार इसे अधिनियम की व्याख्या और अनुप्रयोग को सूचित करना चाहिए।

यूएनसीआरपीडी के अनुच्छेद 3 और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की प्रस्तावना में आठ महत्वपूर्ण सिद्धांतों की पहचान की गई है। ये हैं:

(क) अंतर्निहित गरिमा के प्रति सम्मान, व्यक्तिगत स्वायत्तता जिसमें स्वयं के निर्णय लेने की स्वतंत्रता और व्यक्तियों की स्वतंत्रता शामिल है;

(ख) गैर-भेदभाव;

(ग) समाज में पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी एवं समावेशन;

(घ) भिन्नता के प्रति सम्मान तथा विकलांग व्यक्तियों को मानव विविधता और मानवता के हिस्से के रूप में स्वीकार करना;

(ई) अवसर की समानता;

(च) पहुंच;

(छ) पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता; और

(ज) विकलांग बच्चों की विकासशील क्षमता के प्रति सम्मान तथा विकलांग बच्चों के अपनी पहचान को संरक्षित रखने के अधिकार के प्रति सम्मान।

Machine Translated by Google

इन सिद्धांतों के माध्यम से ही संविधान में निर्धारित अधिकार और दायित्व तय किए जाते हैं।
आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की व्याख्या की जानी चाहिए।

महत्वपूर्ण परिभाषाएँ और अवधारणाएँ

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत, विकलांग व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों को विशिष्ट शब्दावली के साथ मान्यता दी गई है। इनमें शामिल हैं:

1. विकलांग व्यक्ति: दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी विकलांगता वाला व्यक्ति, जो बाधाओं के साथ मिलकर, दूसरों के साथ समान रूप से समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालता है (धारा 2(s))।

2. बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति: सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित निर्दिष्ट विकलांगता का कम से कम 40% वाला व्यक्ति। निर्दिष्ट विकलांगताएँ वे हैं जो RPwD अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध हैं या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित हैं। बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों को कानून (धारा 2 (आर) और अध्याय VI) के तहत कुछ अतिरिक्त सुविधाएँ प्राप्त हैं।

3. बहु विकलांगता वाले व्यक्ति: ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक से अधिक प्रकार की निर्दिष्ट विकलांगताएं हैं, जैसे कि अंधापन और श्रवण दोष का संयोजन (अनुसूची मद संख्या 5 के साथ धारा 2(जेडसी) पढ़ें)।

4. उच्च सहायता की आवश्यकता वाले विकलांग व्यक्ति: बेंचमार्क विकलांगता वाला व्यक्ति जिसे दैनिक जीवन की गतिविधियों को पूरा करने या सामुदायिक जीवन में भाग लेने के लिए गहन सहायता - शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या दोनों - की आवश्यकता होती है। बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों की तरह, उच्च सहायता की आवश्यकता वाले लोगों को भी कानून के तहत अतिरिक्त सुविधाएं मिलती हैं (धारा 2 (टी))।

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की अनुसूची के तहत विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों को निर्दिष्ट विकलांगताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन्हें इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

1. बौद्धिक अक्षमता: बौद्धिक कार्यप्रणाली और अनुकूली व्यवहार में महत्वपूर्ण सीमाओं की विशेषता वाली स्थितियाँ, जो वैचारिक, सामाजिक और व्यावहारिक कौशल को प्रभावित करती हैं।

2. मानसिक बीमारी: सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक गंभीर विकार जो निर्णय, व्यवहार या वास्तविकता को पहचानने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, जिसके परिणामस्वरूप जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने में असमर्थता होती है।

Machine Translated by Google

3. क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियों के कारण उत्पन्न विकलांगता: दीर्घकालिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियों जैसे मल्टीपल स्केलेरोसिस, पार्किंसंस रोग, या अन्य समान स्थितियों से उत्पन्न विकलांगताएं जो संज्ञानात्मक और शारीरिक क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं।

जबकि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम अपनी अनुसूची में निर्दिष्ट विकलांगताओं की पहचान करता है (और केंद्र सरकार को अतिरिक्त निर्दिष्ट विकलांगताओं को अधिसूचित करने का अधिकार देता है), यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विकलांगता वाले सभी व्यक्ति, न कि केवल निर्दिष्ट विकलांगताएं, अधिनियम की धारा 3-15 में निहित अधिकारों और सुरक्षा का आनंद लेते हैं और विकलांगता वाले व्यक्तियों पर लागू हर अन्य प्रावधान का आनंद लेते हैं।

समानता और सुलभता सुनिश्चित करना

उपयुक्त सरकार को विकलांग व्यक्तियों के लिए समानता, सम्मान और गैर-भेदभाव सुनिश्चित करना चाहिए, उनकी पूर्ण भागीदारी और उचित आवास सुनिश्चित करना चाहिए (धारा 3)।

विकलांग व्यक्तियों को समुदाय में रहने का अधिकार दिया गया है।
उपयुक्त सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि उन्हें किसी विशेष आवास व्यवस्था में रहने के लिए मजबूर न किया जाए तथा उनकी आयु और लिंग को ध्यान में रखते हुए उन्हें व्यक्तिगत सहायता सहित घरेलू, आवासीय और अन्य सामुदायिक सहायता सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जाए (धारा 5)।

किसी भी विकलांग बच्चे को विकलांगता के आधार पर उसके माता-पिता से अलग नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के, जब माता-पिता विकलांग बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ हों (धारा 9)।

उपयुक्त सरकार को विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रजनन अधिकारों और परिवार नियोजन के संबंध में उचित जानकारी तक पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए।
उनकी स्वतंत्र एवं सूचित सहमति के बिना उन्हें बांझपन उत्पन्न करने वाली कोई भी चिकित्सा प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए (धारा 10)।

भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोगों को चाहिए कि वे

यह सुनिश्चित करें कि सभी मतदान केंद्र दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हों और निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित सभी सामग्रियां उनके लिए आसानी से समझने योग्य और सुलभ हों (धारा 11)।

Machine Translated by Google

उपयुक्त सरकार को विकलांग व्यक्तियों के लिए न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए: (धारा 12)

- बिना किसी भेदभाव के न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और अन्य न्यायिक या अर्ध-न्यायिक निकायों तक पहुंच के उनके अधिकार की गारंटी।
- उच्च समर्थन की आवश्यकता वाले या पारिवारिक ढांचे से बाहर रहने वाले लोगों के लिए उनके कानूनी अधिकारों का प्रयोग करने हेतु सहायता उपायों को लागू करना।
- यह सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाना कि सभी सार्वजनिक दस्तावेज सुलभ प्रारूपों में उपलब्ध हों; दस्तावेजों और साक्ष्यों को सुलभ प्रारूपों में संभालने के लिए फाइलिंग विभागों, रजिस्ट्री और अभिलेख कार्यालयों को सुसज्जित करना; तथा विकलांग व्यक्तियों की पसंदीदा भाषा और संचार माध्यमों में साक्ष्यों और तर्कों को रिकॉर्ड करने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना।
- राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देना कि योजनाएं और सेवाएं विकलांग व्यक्तियों के लिए समान रूप से सुलभ हों।

उपयुक्त सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि: (i) विकलांग व्यक्तियों को संपत्ति (चल या अचल) के स्वामित्व या उत्तराधिकार में प्राप्त करने तथा बैंक ऋण, बंधक और अन्य प्रकार के वित्तीय ऋण तक पहुंच के माध्यम से अपने वित्तीय मामलों को नियंत्रित करने के लिए अन्य लोगों के समान अधिकार प्राप्त हों; और (ii) कानून के समक्ष किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह जीवन के सभी पहलुओं और हर जगह समान आधार पर समान कानूनी क्षमता और मान्यता प्राप्त हो (धारा 13)।

संरक्षकता का प्रावधान

किसी अन्य कानून के बावजूद, RPwD अधिनियम के लागू होने से, जब कोई जिला न्यायालय या नामित प्राधिकरण पाता है कि पर्याप्त सहायता के बावजूद कोई विकलांग व्यक्ति कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णय नहीं ले सकता है, तो प्राधिकरण निर्णय लेने में सहायता के लिए एक सीमित अभिभावक नियुक्त कर सकता है। असाधारण मामलों में या जहाँ बार-बार सीमित संरक्षकता की आवश्यकता होती है, न्यायालय या प्राधिकरण प्रदान की गई सहायता की समय-समय पर समीक्षा के साथ पूर्ण सहायता प्रदान कर सकता है (धारा 14)।43

43 संरक्षकता की नियुक्ति, शक्तियों और कार्यों से संबंधित राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 की धाराएं 14-17 भी देखें।

Machine Translated by Google

समावेशी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और समान रोज़गार

सरकार द्वारा वित्तपोषित या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा मिले। उन्हें बिना किसी भेदभाव के प्रवेश दिया जाना चाहिए और शिक्षा, खेल और मनोरंजक गतिविधियों में समान अवसर दिए जाने चाहिए। स्कूलों को अपनी इमारतों और सुविधाओं को सुलभ बनाने और व्यक्तिगत ज़रूरतों के आधार पर सुविधाएँ प्रदान करने की ज़रूरत है (धारा 16)।

उपयुक्त सरकार विकलांग व्यक्तियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल, बाधा-मुक्त पहुंच और प्राथमिकता वाले उपचार को सुनिश्चित करके उनके जीवन स्तर को सुरक्षित रखने और बढ़ावा देने के लिए योजनाएं और कार्यक्रम बनाएगी (धारा 24 और 25)।

छह से अठारह वर्ष की आयु के बीच बेंचमार्क विकलांगता वाले प्रत्येक बच्चे को अपने पड़ोस के स्कूल या अपनी पसंद के विशेष स्कूल में मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा। उच्च शिक्षा के सभी सरकारी संस्थानों में बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए कम से कम पांच प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी।

बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों को उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी (धारा 31 और 32)।

कोई भी सरकारी प्रतिष्ठान रोजगार, उचित आवास, पदोन्नति या पद में कटौती के मामले में विकलांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं करेगा और विकलांग कर्मचारियों को बाधा मुक्त और अनुकूल वातावरण प्रदान करेगा (धारा 20)।

प्रत्येक प्रतिष्ठान रोजगार में गैर-भेदभाव सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा देते हुए एक समान अवसर नीति अधिसूचित करेगा और नीति की एक प्रति राज्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त के पास पंजीकृत करेगा (धारा 21)।

उपयुक्त सरकार को बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले उपयुक्त पदों की पहचान करनी चाहिए, इस उद्देश्य के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए, और हर तीन साल में पहचाने गए पदों की समीक्षा करनी चाहिए। प्रत्येक उपयुक्त सरकार को सरकारी प्रतिष्ठानों में कम से कम चार प्रतिशत रिक्तियाँ बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित करनी चाहिए, जिन्हें निर्दिष्ट विकलांगता प्रकारों (धारा 33 और 34) द्वारा वर्गीकृत किया गया है।

Machine Translated by Google

उच्च समर्थन की आवश्यकता

बेंचमार्क विकलांगता वाला कोई भी व्यक्ति जो खुद को उच्च सहायता की आवश्यकता समझता है, वह उच्च सहायता प्रदान करने के लिए अनुरोध करते हुए किसी प्राधिकरण (उचित सरकार द्वारा अधिसूचित) को आवेदन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति या संगठन उनकी ओर से आवेदन कर सकता है (धारा 38)।

उपयुक्त सरकार के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ

प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान को एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना होगा।
यह अधिकारी अधिनियम की धारा 20 में उल्लिखित गैर-भेदभाव आवश्यकताओं के उल्लंघन के बारे में शिकायतें प्राप्त करने और उनकी जांच करने के लिए जिम्मेदार है। पंजीकृत शिकायतों की दो सप्ताह के भीतर जांच की जानी चाहिए। यदि पीड़ित व्यक्ति शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, तो उन्हें विकलांगता पर जिला-स्तरीय समिति (धारा 23) के समक्ष मामले को आगे बढ़ाने का अधिकार है।

केंद्र सरकार, मुख्य आयुक्त के परामर्श से, विकलांग व्यक्तियों के लिए सुगम्यता नियम स्थापित करेगी, जिसमें भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक सुविधाओं सहित विभिन्न पहलू शामिल होंगे।

केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार सार्वजनिक भवनों को पांच वर्ष से अधिक की अवधि के भीतर सुलभ बनाया जाना चाहिए और आवश्यक सेवा स्थलों में सुगम्यता को प्राथमिकता देते हुए कार्य योजनाएं विकसित की जानी चाहिए (धारा 40 और 45)।

उपयुक्त सरकार को बस स्टॉप, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुँच और डिज़ाइन मानकों के अनुरूप सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए। उपयुक्त सरकार को सस्ती लागत पर विकलांग व्यक्तियों की व्यक्तिगत गतिशीलता को बढ़ावा देने वाली योजनाएँ और कार्यक्रम भी विकसित करने चाहिए (धारा 41)।

उपयुक्त सरकार को विकलांग व्यक्तियों की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं और उपकरणों तक पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए (धारा 42)।

केंद्र सरकार किसी व्यक्ति में निर्दिष्ट विकलांगता की सीमा का आकलन करने के लिए दिशा-निर्देश अधिसूचित करेगी (धारा 56)।

Machine Translated by Google

मार्च 2024 में अधिसूचित दिशानिर्देश यहां देखे जा सकते हैं: https://depwd.gov.in/
निर्दिष्ट विकलांगताओं की सीमा का आकलन करने के लिए नवीनतम अधिसूचित दिशानिर्देश दिनांक 14-03-2024/

प्रवर्तन, अपराध और दंड

भारत में विकलांगता अधिकारों को साकार करने में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह है कि व्यवसायों और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों द्वारा सुलभता और उचित सुविधाओं को अक्सर "अनिवार्य" के बजाय "अच्छा होना" माना जाता है। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए, RPwD अधिनियम एक प्रवर्तन तंत्र स्थापित करता है।44 अधिनियम की धारा 89 में पहले उल्लंघन के मामले में 10,0000 रुपये का जुर्माना लगाने और बाद के उल्लंघन के लिए 50,000 रुपये से 5,00,000 रुपये के बीच जुर्माना लगाने का प्रावधान है। ये दंड विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य और राज्य आयुक्तों द्वारा लगाए जा सकते हैं।

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत नियामक निकाय

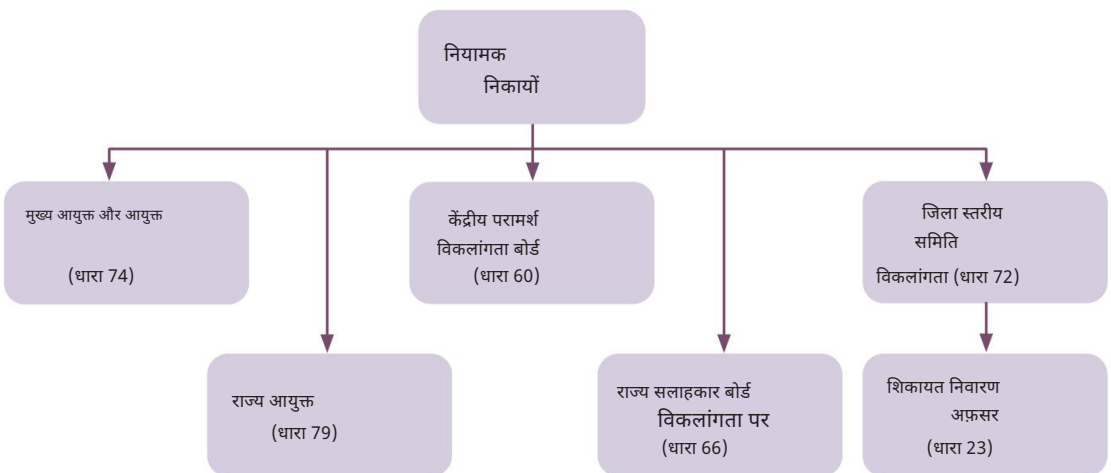

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत स्थापित विनियामक निकायों में मुख्य आयुक्त और आयुक्त तथा विभिन्न राज्य आयुक्त शामिल हैं। इसके अलावा एक केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, राज्य जिला सलाहकार बोर्ड और जिला स्तरीय समितियां भी काम करती हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, शिकायत निवारण अधिकारी के निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाती है।

44 विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016, धारा 84, 85 और 91-93।

Machine Translated by Google

इसके अतिरिक्त, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अंतर्गत अन्य निकाय और प्राधिकरण शामिल हैं:

विकलांगता पर अनुसंधान के लिए एक समिति (धारा 6(2))

जिला न्यायालय में विकलांगता पर शोध के लिए एक समिति या एक नामित प्राधिकारी (धारा 14(1))

सहायता प्रदान करने के लिए नामित प्राधिकारी (धारा 15)

विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थानों के पंजीकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी
विकलांगता (धारा 49)

विकलांगता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार प्रमाणन प्राधिकारी (धारा 57)

द्वारा लिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपीलों को संबोधित करने के लिए एक अपीलीय प्राधिकारी
प्रमाणन प्राधिकरण (धारा 59)

विशेष न्यायालयों का नामकरण और विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति (धारा 84 और 85)।

राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999: इस अधिनियम ने ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट की स्थापना की (धारा 3)। ट्रस्ट इन व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने और आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार निकाय है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी अभिभावकों की नियुक्ति का प्रावधान करता है जो अपने दम पर निर्णय लेने में असमर्थ हैं।

यह अभिभावक व्यक्ति की देखभाल करने और उनकी संपत्ति और मामलों का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार होता है। व्यक्ति की ज़रूरतों और क्षमताओं के आधार पर "पूर्ण" (पूर्ण) या "सीमित" संरक्षकता के प्रावधान हैं। इसके अलावा, अधिनियम में जिलों में स्थानीय स्तर की समितियों (एलएलसी) के गठन का आदेश दिया गया है (धारा 13), जो अधिनियम के कार्यान्वयन की देखरेख करती हैं, विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों को शोषण और दुर्व्यवहार से बचाने और उनके अधिकारों को बनाए रखने के लिए।

Machine Translated by Google

10. विकलांग गवाह

विकलांग व्यक्तियों से संबंधित एक मुख्य मुद्दा गवाह या पीड़ित/उत्तरजीवी के रूप में उनकी विश्वसनीयता का नकारना है। उदाहरण के लिए, मांगे बनाम हरियाणा राज्य में, [45]

पीड़िता एक छोटी बच्ची थी जिसका बलात्कार एक अपराधी ने किया था। मंगे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोक्ता से पूछताछ न करना अभियोक्ता के मामले में कोई बड़ी कमी नहीं थी क्योंकि एक बाल गवाह होने के अलावा अभियोक्ता बहरी और गूंगी भी थी और "उसकी जांच करके कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होता।"[46]

यह रूढ़िबद्ध धारणा कि विकलांग व्यक्ति, जैसे कि सुनने में कमी या अंधेपन के कारण, महत्वपूर्ण गवाही नहीं दे सकते, गलत है क्योंकि यह उनके अनुभवों और धारणाओं के आधार पर मूल्यवान साक्ष्य प्रदान करने की उनकी क्षमता को कमज़ोर करता है। पाटन जमाल वली बनाम राज्य में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई थी।

आंध्र प्रदेश के [47] मामले में न्यायालय ने कहा कि ऐसी धारणाएँ, जो विकलांगता को कानूनी प्रक्रिया में भाग लेने में असमर्थता के रूप में समझती हैं, न केवल विकलांगता के संचालन के बारे में निराधार समझ को दर्शाती हैं, बल्कि विकलांग व्यक्तियों द्वारा दी गई गवाही के अवमूल्यन के माध्यम से न्याय की विफलता का कारण भी बनती हैं। विकलांग गवाहों की कथित हीनता या अप्रासंगिकता को सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी गरिमा का अपमान और समानता के सिद्धांत का उल्लंघन माना।[48] विकलांग बलात्कार पीड़ितों की गवाही को नज़रअंदाज़ करना विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ़ रूढ़िवादिता को बनाए रखने के रूप में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उजागर किया गया।[49]

स्मृति तुकाराम बडाडे बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में , [50] सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही में कमजोर गवाहों की गवाही दर्ज करने के लिए एक सुरक्षित और बाधा-मुक्त वातावरण स्थापित करने की अनिवार्यता को रेखांकित किया। इससे पहले, 'आपराधिक मामलों में कमजोर गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने के लिए दिशानिर्देश'
दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश में कमजोर गवाहों की परिभाषा को सीमित कर दिया गया है

45 मांगे बनाम हरियाणा राज्य (1979) 4 एससीसी 349।

46 वही [2].

47 पाटन जमाल वली बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2021 आईएनएससी 272।

48 वही [43].

49 वही [45].

50 स्मृति तुकाराम बडाडे बनाम महाराष्ट्र राज्य 2022 आईएनएससी 39।

Machine Translated by Google

18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति। हालाँकि, स्मृति तुकाराम में, सुप्रीम कोर्ट ने कमजोर गवाहों की परिभाषा का विस्तार करते हुए मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017 ("मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम") के तहत परिभाषित 'मानसिक बीमारी' वाले व्यक्तियों और बोलने या सुनने की अक्षमता वाले व्यक्तियों के साथ-साथ किसी अन्य विकलांगता वाले व्यक्तियों को भी शामिल किया। यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे सभी गवाहों को कानूनी प्रक्रिया के दौरान उचित सुरक्षा और सुविधाएँ मिलें।

शारीरिक विकलांगता वाले गवाहों को अक्सर अदालतें असहाय और आसानी से हेरफेर किए जाने योग्य समझती हैं। इसके परिणामस्वरूप न्यायिक परिणाम ऐसे हो सकते हैं जो ऐसे गवाह की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करते हैं और उनकी गवाही को कमज़ोर करते हैं। हालाँकि, इसके लिए कोई कानूनी आधार नहीं है और शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्ति की गवाही को किसी भी अन्य गवाही के बराबर माना जाना चाहिए, सिवाय इसके कि विकलांगता स्वयं गवाही का आकलन करने के लिए भौतिक रूप से प्रासंगिक हो सकती है (उदाहरण के लिए, व्हीलचेयर का उपयोग करने वाला एक गवाह दावा करता है कि वह ऐसी जगह पर है जहाँ व्हीलचेयर से पहुँचना पूरी तरह से असंभव है और वह इस तथ्य की व्याख्या नहीं कर सकता है)।

मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति वाले गवाह के मामले में, उनकी विश्वसनीयता का आकलन आमतौर पर '(अ)मानसिक स्वस्थता' के चश्मे से किया जाता है।51 न्यायालय गलती से यह मान सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति वाला हर व्यक्ति एक अविश्वसनीय गवाह है और उनकी गवाही को नज़रअंदाज़ कर सकते हैं। इस पूर्वाग्रही दृष्टिकोण का मुकाबला करने और उनकी गवाही पर विचार करने के लिए यह ज़रूरी है कि न्यायाधीश कानून के निष्पक्ष अनुप्रयोग को मानवीय और सामाजिक रूप से संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ संतुलित करने का प्रयास करें जो मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति वाले व्यक्तियों के लिए अनुकूल हो।

मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति वाले गवाहों को घटनाओं को क्रमिक रूप से याद करना चुनौतीपूर्ण लग सकता है। स्मृति संबंधी कठिनाइयाँ, जो अक्सर अवसाद या कुछ दवाओं के दुष्प्रभावों जैसी स्थितियों से जुड़ी होती हैं, विशिष्ट विवरणों की सटीकता को प्रभावित कर सकती हैं। हालाँकि, स्मृति हानि का अनुभव करने वाले लोगों से साक्ष्य एकत्र करने में सहायता के लिए उचित समायोजन प्रदान करना आवश्यक है। ये स्मृति कठिनाइयाँ आम तौर पर उनकी गवाही की समग्र सत्यता या विश्वसनीयता के बजाय विवरणों की सटीकता को प्रभावित करती हैं।52

51 माइकल एल पर्लिन, 'सिंप्लीफाई यू, क्लासिफाई यू: स्टिग्मा, स्टीरियोटाइप्स एंड सिविल राइट्स इन डिसेबिलिटी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स' (2009) 25 जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी लॉ रिव्यू 607.

५२ इंग्लैंड और वेल्स की न्यायपालिका, समान उपचार बेंच बुक (न्यायालय और न्यायाधिकरण न्यायपालिका, २०२४ संस्करण) ९० <https://www.sentensingcouncil.org.uk/wp-content/uploads/Equal-Treatment-Bench-Book.pdf> 13 सितंबर 2024 को एक्सेस किया गया.

Machine Translated by Google

मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति वाले व्यक्तियों को न्यायालय प्रक्रिया में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें संचार, एकाग्रता, संवेदी अधिभार और तनाव से निपटने में कठिनाई शामिल है, जो कार्यवाही को समझने और प्रभावी रूप से भाग लेने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकता है।53 संभावित समायोजन इन चुनौतियों का समाधान करने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, विकलांग गवाहों को सुनवाई में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं हो सकती है यदि निष्पक्ष सुनवाई के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। यात्रा संबंधी कठिनाइयों को वैकल्पिक स्थानों पर सुनवाई आयोजित करके या वीडियो या टेलीफोन लिंक का उपयोग करके संबोधित किया जा सकता है। संचार समायोजन समझ और भागीदारी को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन समायोजनों में भाषा को सरल बनाना, यह सुनिश्चित करना कि दस्तावेज़ सुलभ हों, और समझ में सहायता के लिए अतिरिक्त ब्रेक देना शामिल हो सकता है। इसी तरह, जिरह के दौरान, कमजोर गवाहों के लिए स्क्रीन या समय सीमा प्रदान करना, धीमी गति को प्रोत्साहित करना और लिखित प्रतिक्रियाओं की अनुमति देना जैसे समायोजन व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करते हुए प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं।54

11. मानसिक क्षमता और “मन की अस्वस्थता”

विकलांग व्यक्तियों के कानूनी अधिकारों को संबोधित करते समय, मानसिक क्षमता की परिवर्तनशीलता को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। जबकि कानूनी प्रणाली मानती है कि व्यक्ति निर्णय ले सकते हैं और उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, बौद्धिक विकलांगता या मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति वाले कुछ व्यक्तियों को निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है।

हालांकि, यह कहना महत्वपूर्ण है कि मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति किसी व्यक्ति को अस्वस्थ दिमाग वाला नहीं बनाती है। मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम की धारा 3(5) में कहा गया है कि 'किसी व्यक्ति की मानसिक बीमारी का निर्धारण अकेले यह नहीं दर्शाता है या इसका मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि वह व्यक्ति अस्वस्थ दिमाग का है, जब तक कि उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित न किया गया हो।' निर्णय लेने की क्षमता में कमी के बारे में निष्कर्ष कानून के अनुसार प्रशिक्षित पेशेवर से विश्वसनीय निदान के बाद ही निकाला जाना चाहिए। यह कुछ मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों या विकलांगताओं से जुड़ी रूढ़ियों पर आधारित नहीं होना चाहिए।

ऐसे मामलों की पहचान करना आवश्यक है जहाँ किसी व्यक्ति में मानसिक क्षमता की कमी है, जिसके लिए उनकी परिस्थितियों के अनुरूप सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। कोई एक मानकीकृत तरीका नहीं है

53 वही 82-83.

54 वही 88-90.

Machine Translated by Google

सभी स्थितियों में मानसिक क्षमता का आकलन करने के लिए परीक्षण। इन आकलनों में, मुख्य प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि क्या व्यक्ति सामान्य रूप से सक्षम है, बल्कि यह होना चाहिए कि क्या उनमें विचाराधीन विशेष कार्य या निर्णय के लिए क्षमता की कमी है।55 मानसिक क्षमता का आकलन करने के दो सामान्य उद्देश्य हैं (1) मुकदमे का सामना करने की योग्यता; और (2) आपराधिक जिम्मेदारी।

11.1. मुकदमे में खड़े होने की अक्षमता

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 328 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 367) के तहत, यदि मजिस्ट्रेट के पास यह मानने का कारण है कि अभियुक्त मानसिक रूप से अस्वस्थ है और इसलिए अपना बचाव करने में असमर्थ है, तो मजिस्ट्रेट को इसकी जांच करनी चाहिए। अभियुक्त की एक नामित चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच की जाती है, और यदि उसे मुकदमे का सामना करने में असमर्थ पाया जाता है, तो कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है, और उसकी मानसिक स्थिति में सुधार होने पर उसे फिर से शुरू किया जाता है।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम की धारा 105, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए वैधानिक अधिकार बनाती है, जो अधिनियम की धारा 2(1)(s)56 के तहत परिभाषित मानसिक बीमारी होने का दावा करता है, कि वह किसी भी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अपने मामले को संबंधित बोर्ड की राय के लिए संदर्भित कर सकता है और सक्षम न्यायालय पर एक संदर्भ बनाने और बोर्ड से राय लेने का परिणामी दायित्व डालता है।

यहां बोर्ड का तात्पर्य मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड से है, जिसका गठन मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (1) के तहत राज्य प्राधिकरण द्वारा किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष (आमतौर पर एक जिला न्यायाधीश), जिला कलेक्टर का एक प्रतिनिधि, दो चिकित्सा पेशेवर (एक मनोचिकित्सक और एक चिकित्सा व्यवसायी) और मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों या मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले देखभाल करने वालों/एनजीओ का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति शामिल होते हैं (धारा 74)। यह बोर्ड, या तो सीधे या विशेषज्ञों के एक पैनल के माध्यम से, संबंधित व्यक्ति की जांच करेगा और अदालत को अपनी राय प्रस्तुत करेगा (धारा 105)।

55 वही 104.

56 मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017, धारा 2(1)(एस) - "मानसिक बीमारी" का अर्थ है सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक पर्याप्त विकार जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को बुरी तरह से क्षीण करता है, शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से जुड़ी मानसिक स्थिति, लेकिन इसमें मानसिक मंदता शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति के दिमाग के गिरफ्तार या अपूर्ण विकास की स्थिति है, जो विशेष रूप से बुद्धि की असामान्यता से चिह्नित है।

Machine Translated by Google

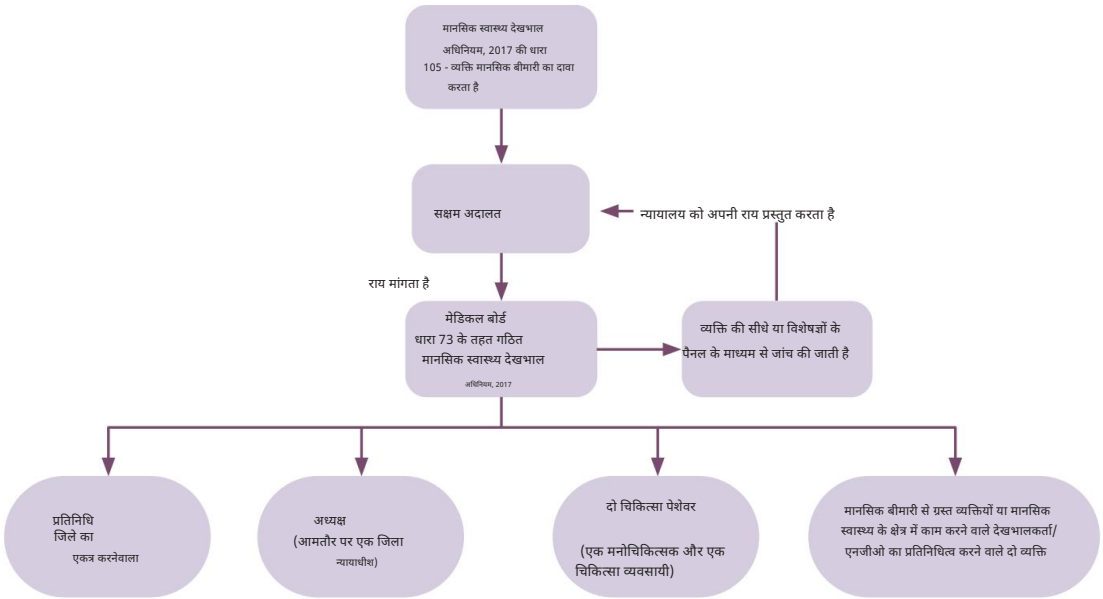

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज (NIMHANS) एक विस्तृत वर्कअप प्रोफार्मा के साथ-साथ पांच प्रमुख मूल्यांकन क्षेत्र प्रदान करता है, ताकि यह आकलन किया जा सके कि व्यक्ति में मुकदमे का सामना करने की क्षमता है या नहीं।57 मूल्यांकन आमतौर पर एक फोरेंसिक मनोचिकित्सक द्वारा किया जाता है। मूल्यांकन में (i) संज्ञानात्मक कार्यों का मूल्यांकन; (ii) व्यक्ति के खिलाफ आरोपों की समझ; (iii) अदालती कार्यवाही के बारे में ज्ञान; (iv) उनके वकील के बारे में समझ; और (v) अदालत में व्यवहार की समझ शामिल है।

परीक्षण करने वाले मनोचिकित्सक को अदालत में गवाही देने के लिए विशेषज्ञ गवाह के रूप में भी बुलाया जा सकता है।

11.2. आपराधिक जिम्मेदारी

मानसिक विकृति किसी आपराधिक आरोप के विरुद्ध एक बचाव है, इस आधार पर कि मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति वाले व्यक्ति में अपराध करने के लिए आवश्यक दोषी इरादा नहीं हो सकता है।58

ऐतिहासिक रूप से, किसी व्यक्ति को "कानूनी रूप से पागल" घोषित करने के लिए विभिन्न परीक्षणों का उपयोग किया जाता रहा है

57 शालिनी नाइक, दिनाकरन दामोदरन, सी नवीन कुमार और सुरेश बड़ा मठ, भारत में फोरेंसिक मनोरोग - इंटरफेस भारतीय कानून और मानसिक स्वास्थ्य (निमहंस प्रकाशन 2021)।

58 के.डी. गौर, भारतीय दंड संहिता (6वां संस्करण, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग) 206.

Machine Translated by Google

जैसे कि "जंगली जानवर" परीक्षण59, "पागल भ्रम" परीक्षण60 और "सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता का परीक्षण।"61 इन परीक्षणों ने मैकनॉटन नियम के रूप में जाने जाने वाले नियम की नींव रखी, जिसके अनुसार "पागलपन के आधार पर बचाव स्थापित करने के लिए, यह साबित करना होगा कि कार्य करने के समय, अभियुक्त पक्ष मानसिक रोग के कारण तर्क के ऐसे दोष से ग्रस्त था कि वह जो कार्य कर रहा था उसकी प्रकृति और गुणवत्ता को नहीं जानता था या वह नहीं जानता था कि वह जो कर रहा था वह गलत था।"62 भारत में, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 84 (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 22) मैकनॉटन नियम पर आधारित है।63

इन प्रावधानों को लागू करने के लिए, अभियुक्त को यह साबित करना होगा कि अपराध के समय, वे इस हद तक विकृत मानसिक स्थिति में थे कि: (i) वे कृत्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ थे; या (ii) वे विकृत मानसिक स्थिति के कारण यह समझने में असमर्थ थे कि वे जो कर रहे थे वह गलत था या कानून के विरुद्ध था।

आपराधिक न्यायालय के पास आपराधिक जिम्मेदारी के मुद्दे को निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन का आदेश देने का अधिकार है। इस मूल्यांकन प्रक्रिया में चिकित्सा विशेषज्ञ अभिन्न अंग हैं, जो शामिल व्यक्तियों की मानसिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। न्यायालय चिकित्सा विशेषज्ञ से विशिष्ट प्रश्न पूछ सकता है।64 ऐसे प्रश्नों के उदाहरणों में अभियुक्त के मानसिक स्वास्थ्य की प्रकृति और गंभीरता के बारे में पूछताछ और क्या मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति ने अपराध को अंजाम दिया है, शामिल हैं। उनके कर्तव्यों में साथ दिए गए कानूनी दस्तावेजों की समीक्षा करना, व्यापक इतिहास का आकलन करना, अपराध के समय प्रतिवादी की मानसिक स्थिति का मूल्यांकन करना और मानसिक परीक्षण करना शामिल है।

---

५९ थॉमस बेली हॉवेल, प्रारंभिक काल से लेकर वर्ष १८२० तक के उच्च राजद्रोह और अन्य अपराधों और दुष्कर्मों के लिए राज्य परीक्षणों और कार्यवाहियों का पूर्ण संग्रह, खंड ६ (लॉन्गमैन, १८१६) ६९५। आर वी अर्नोल्ड (१७२४) के मामले में स्थापित "जंगली जानवर परीक्षण" में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अपराध करते समय पागल माना जाता है यदि वे इस तरह से कार्य करते हैं जैसे कि वे एक जंगली जानवर थे, जो अपने कार्यों पर समझ और नियंत्रण से रहित थे।

६० ibid खंड २७, १२८. आर वी हैडफील्ड (१८००) के मामले में स्थापित 'पागल भ्रम परीक्षण', विशेष रूप से किसी व्यक्ति की पागलपन को निर्धारित करने के लिए सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता पर केंद्रित था।

61 एसबी मैथ, सीएन कुमार और एस मोइरंगथेम, 'इन्सैनिटी डिफेंस: पास्ट, प्रेजेंट, एंड फ्यूचर' (2015) इंडियन जर्नल साइकोलॉजी मेडिसिन <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4676201/#:~:text=Section%2084%20of%20IPC%20deals,wrong%20या%20विपरीत%20से%20कानून.%ई2%80%9डी> 06 सितंबर 2024 को एक्सेस किया गया। इसे बाउलर के मामले (1812) 1 कॉलिन्सन ल्यूनेसी 673 में स्थापित किया गया था।

62 आर वी डैनियल मैक नागटेन (1843) 8 इंजी. प्रतिनिधि 718; [1843] यूकेएचएल जे16.

63 प्रकाश नई @ सेन बनाम गोवा राज्य 2023 आईएनएससी 24 [13]।

64 आर.के. चड्ढा, 'मनोचिकित्सा में फोरेंसिक मूल्यांकन' (2013) इंडियन जे साइकियाट्री, 55(4): 393-9.

Machine Translated by Google

स्थिति और संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली का आकलन।65 यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि विशेषज्ञ साक्ष्य न्यायालय को स्वतंत्र राय बनाने से मुक्त नहीं करता है। मानसिक अस्वस्थता के प्रश्न का निर्णय मुख्य रूप से न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर किया जाना चाहिए। इस पुस्तिका के अनुभाग 10 में दिए गए व्यक्तियों की गवाही के मूल्यांकन से संबंधित सभी सुझाव और योग्यताएँ गवाही की जाँच करते समय लागू होती हैं।

12. मताधिकार और विकलांग व्यक्ति

मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। हालाँकि, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 (बी) में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को मतदाता के रूप में अयोग्य ठहराया जा सकता है यदि वह व्यक्ति, 'विक्षिप्त मानसिक स्थिति में है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है।' विकलांग व्यक्ति, विशेष रूप से बौद्धिक या सीखने संबंधी विकलांगता वाले व्यक्ति, और मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति वाले व्यक्ति, अक्सर विकलांगता से जुड़ी रूढ़ियों के कारण 'मानसिक अस्वस्थता' से संबंधित ऐसे कानूनों द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार के अधीन होते हैं। हालाँकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विकलांगता या मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को मानसिक अस्वस्थता के बराबर नहीं माना जा सकता है।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम की धारा 3(5) में कहा गया है कि "किसी व्यक्ति की मानसिक बीमारी का निर्धारण अकेले यह नहीं दर्शाता है या इसका अर्थ यह नहीं लिया जाएगा कि वह व्यक्ति विकृत मस्तिष्क का है, जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित नहीं किया गया हो"।66

इसलिए, कोई निर्वाचन अधिकारी किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने से सिर्फ़ इसलिए इनकार नहीं कर सकता क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। निर्वाचन अधिकारी ऐसा तभी कर सकता है जब सक्षम न्यायालय द्वारा यह घोषित किया गया हो कि व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है।

मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से पीड़ित व्यक्ति को अदालत में जाकर यह साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि वह स्वस्थ दिमाग का है। इसी तरह, एक बूथ अधिकारी मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से पीड़ित व्यक्ति को उसके मताधिकार का प्रयोग करने से नहीं रोक सकता, जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।

65 पागलपन बचाव: अतीत, वर्तमान और भविष्य (एन 56)।

66 मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017.

Machine Translated by Google

12.1. विकलांग मतदाताओं को परिभाषित करना

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 11 में कहा गया है कि भारत का चुनाव आयोग ("ईसीआई") और राज्य चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी मतदान केंद्र दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हों और चुनावी प्रक्रिया से संबंधित सभी सामग्री उनके लिए आसानी से समझने योग्य और सुलभ हो।

ईसीआई ने विकलांग व्यक्तियों के लिए समान पहुंच और पूर्ण भागीदारी की सुविधा के लिए कई पहल की हैं।67 आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम द्वारा पहचानी गई इक्कीस विकलांगताओं में से एक वाले मतदाताओं को ईसीआई द्वारा विकलांग मतदाता कहा जाता है।68 व्यक्तियों को नामांकित करते समय, ईसीआई विकलांग मतदाताओं को चार श्रेणियों के तहत वर्गीकृत करता है (1) दृष्टिबाधित व्यक्ति; (2) भाषण या श्रवण विकलांगता वाले व्यक्ति; (3) चलने-फिरने में विकलांगता वाले व्यक्ति; और (4) अन्य।

कोई भी दिव्यांग व्यक्ति www.nvsp.in पर ऑनलाइन अपनी दिव्यांगता के बारे में जानकारी सहित फॉर्म 6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकता है। और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना। इससे ईसीआई को दिव्यांग मतदाताओं के लिए उचित प्रावधान करने और आवश्यक अतिरिक्त सहायता प्रदान करने में मदद मिलती है।69

12.2. ईसीआई द्वारा हाल की पहल

ईसीआई ने जनगणना डेटा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल कल्याण विभाग और समग्र योजना की मदद से विकलांग व्यक्तियों की पहचान करने के लिए सक्रिय कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं। ईसीआई के निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक मतदान केंद्र में विकलांग व्यक्तियों की पहचान बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए और ऐसी जानकारी को डेटाबेस में रखा जाएगा। हालाँकि, यह अतिरिक्त जानकारी मतदाता सूची का हिस्सा नहीं होनी चाहिए।70यह डेटा ईसीआई को विकलांग मतदाताओं को लक्षित सहायता और सुविधा प्रदान करने की अनुमति देता है।71

67 'पीडब्ल्यूडी' (भारत निर्वाचन आयोग) <https://eci.gov.in/persons-with-disabilities/> 05 सितंबर 2024 को एक्सेस किया गया.

68 वही.

69 'बाधाओं को तोड़ना: चुनाव को सुलभ बनाना' (भारत निर्वाचन आयोग) <https://ceobihar.nic.in/pwd/Breaking%20Barriers_WEB.pdf> 05 सितंबर 2024 को एक्सेस किया गया.

70 'बाधाओं को तोड़ना: चुनाव को सुलभ बनाना' (भारत निर्वाचन आयोग) <https://ceobihar.nic.in/pwd/Breaking%20Barriers_WEB.pdf> 05 सितंबर 2024 को एक्सेस किया गया.

71 वही 17.

Machine Translated by Google

इसके अलावा, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को दी जाने वाली सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं (जैसे कि रैंप, पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था, फर्नीचर, सहायता डेस्क और प्रत्येक मतदान केंद्र पर उचित संकेत) को संहिताबद्ध करने तथा उन क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष मतदान केंद्र स्थापित करने के निर्देश जारी किए गए, जहां दिव्यांग व्यक्ति बड़ी संख्या में रहते हैं और कुष्ठ रोगियों के लिए आरोग्यशालाएं हैं।72

> दिव्यांग व्यक्तियों के मताधिकार के बारे में अमेरिकी जिला न्यायालय में मामला: ईसन बनाम न्यूयॉर्क राज्य चुनाव बोर्ड मामले में, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, सेंटर फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द डिसेबल्ड और व्यक्तिगत दृष्टिहीन वादी द्वारा न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय में मामला दायर किया गया था, जिसमें राज्यों से ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण जैसी सेवाएं प्रदान करते समय पहुंच और गोपनीयता मानकों को पूरा करने का अनुरोध किया गया था।
>
> 25 फरवरी 2019 को, इस मामले में पक्षों ने एक समझौता समझौते की घोषणा की, जिसमें राज्य चुनाव बोर्ड और मोटर वाहन विभाग ने 2019 के अंत तक पूरी तरह से सुलभ मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित करने पर सहमति व्यक्त की है। उनकी वेबसाइटों को दो साल के भीतर स्क्रीन-एक्सेस सॉफ़्टवेयर के लिए सुलभ बनाया जाएगा, और वे दीर्घकालिक वेबसाइट पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रथाओं और प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए एक एक्सेसिबिलिटी कंसल्टेंट के साथ काम करेंगे।73

13. विकलांग व्यक्तियों के लिए संपत्ति का स्वामित्व

यूएनसीआरपीडी का अनुच्छेद 12 इस बात की पुष्टि करता है कि मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के कारण विकलांगता सहित विकलांग व्यक्तियों को हर जगह कानून के समक्ष व्यक्ति के रूप में मान्यता पाने का अधिकार है तथा उन्हें संपत्ति का उत्तराधिकार पाने का अधिकार भी प्रदान करता है।

72 वही.

73 ईसन बनाम न्यूयॉर्क स्टेट बोर्ड ऑफ इलेक्शन 16-cv-4292 (KBF) (SDNY 20 दिसंबर, 2017)

Machine Translated by Google

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 13(1) के अनुसार, उपयुक्त सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विकलांग व्यक्तियों को, दूसरों के समान, चल या अचल संपत्ति का स्वामित्व या उत्तराधिकार प्राप्त करने, अपने वित्तीय मामलों को नियंत्रित करने और बैंक ऋण, बंधक और वित्तीय ऋण के अन्य रूपों तक पहुँच का अधिकार हो। इससे विकलांग व्यक्तियों की संपत्ति के स्वामित्व और उत्तराधिकार प्राप्त करने की कानूनी क्षमता के बारे में कोई संदेह नहीं रह जाता। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विकलांग व्यक्तियों से जुड़ी अक्षमता की पुरानी रूढ़िवादिता को त्याग देता है।

संपत्ति के उत्तराधिकार या खरीद-फरोख्त के लिए अनुबंध करने से एकमात्र अयोग्यता "मानसिक अस्वस्थता" होगी, न कि "मानसिक बीमारी" जैसा कि अनुबंध अधिनियम, 1872 (धारा 11) और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (धारा 59) के प्रावधानों द्वारा कहा गया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बौद्धिक अक्षमता या मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को स्वचालित रूप से मानसिक अस्वस्थता के बराबर नहीं माना जा सकता है।

14. गर्भावस्था की समाप्ति और विकलांगता

गर्भावस्था की समाप्ति और विकलांग व्यक्तियों के संबंध में दो अलग-अलग मुद्दे मौजूद हैं। सबसे पहले, ऐसे परिदृश्य हैं जहाँ विकलांग व्यक्ति गर्भवती होती है। दूसरे, ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ भ्रूण और उसके बाद बच्चे में कोई कमी या विकलांगता हो सकती है। भारत में, गर्भावस्था की समाप्ति को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 ("एमटीपी एक्ट") द्वारा विनियमित किया जाता है। एमटीपी एक्ट को 2021 में संशोधित किया गया था ताकि गर्भावस्था को बीस सप्ताह तक समाप्त करने की अनुमति दी जा सके, इस आधार पर कि गर्भावस्था को जारी रखने से गर्भवती महिला के जीवन को खतरा हो सकता है या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट लग सकती है या इस बात का पर्याप्त जोखिम है कि अगर बच्चा पैदा होता है, तो उसमें गंभीर शारीरिक या मानसिक असामान्यता होगी।74 एमटीपी एक्ट और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी (संशोधन) नियम 2021 ("एमटीपी नियम") के नियम 3बी में माँ के शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग होने की स्थिति में गर्भावस्था को चौबीस सप्ताह तक समाप्त करने की अनुमति दी गई है।

14.1 विकलांग व्यक्तियों की गर्भावस्था की समाप्ति

X बनाम प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार 75 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि विकलांग व्यक्तियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

74 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, धारा 3(2)।

75 एक्स v प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार 2022 आईएनएससी 740.

Machine Translated by Google

अपनी विकलांगताओं से उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त जटिलताओं के कारण गर्भावस्था को पूरा करने में असमर्थ हो सकते हैं। वे किसी भी व्यक्तिगत कठिनाई (मानसिक या शारीरिक) के कारण गर्भावस्था को पूरा करने के खिलाफ भी निर्णय ले सकते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी विकलांगता से उत्पन्न हो सकती है। इसी तरह, न्यायालय ने यह भी नोट किया कि विकलांग या मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति वाले व्यक्ति अपनी गर्भावस्था के तथ्य को बिना विकलांग व्यक्तियों की तुलना में बाद में महसूस कर सकते हैं या यह निर्धारित कर सकते हैं कि वे इसे पूरा नहीं करना चाहते हैं। एमटीपी अधिनियम के तहत आवेदनों पर निर्णय लेते समय न्यायालयों को इन कारकों को ध्यान में रखना चाहिए।

इसके अलावा, विकलांग व्यक्तियों, विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति वाले, दृष्टि या भाषण दोष वाले, या जो मनोरोग देखभाल सुविधाओं में रहते हैं, उन्हें यौन उत्पीड़न का उच्च जोखिम होता है। संचार में बाधाओं के कारण गर्भावस्था का पता लगाने और उसे समाप्त करने में देरी हो सकती है। इसलिए उन्हें अतिरिक्त सहायता और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, एक्स बनाम भारत संघ में,

[76] डाउन सिंड्रोम वाली महिला

सिंड्रोम के साथ एक अज्ञात व्यक्ति ने बलात्कार किया था। उसके अभिभावक को बीस सप्ताह बीत जाने के बाद गर्भावस्था का पता चला। इन परिस्थितियों के कारण, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे बीस सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी।

14.2 भ्रूण की विकलांगता से संबंधित गर्भावस्था की समाप्ति

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति ने 1997 में विकलांग बच्चों के अधिकारों पर चर्चा करते हुए कहा: "बच्चों के लिए एक सुरक्षित दुनिया बनाने की दिशा में काम करना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है जिसमें विकलांगता और नुकसान के जोखिम कम से कम हों, लेकिन इसका समाधान निवारक रणनीति के रूप में जीवन को नकारने के माध्यम से नहीं है। इसके बजाय, हमें विविधता का जश्न मनाना चाहिए और विकलांगता के साथ या बिना हर बच्चे के जन्म का जश्न मनाना सीखना चाहिए।"77

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में इस दृष्टिकोण की पुष्टि की जिसमें न्यायालय ने एक महिला की अपने छब्बीस सप्ताह के भ्रूण को गिराने की याचिका को खारिज कर दिया, जिसके मेडिकल रिपोर्ट से पता चला था कि उसमें डाउन सिंड्रोम है।78 न्यायालय ने कहा कि डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्तियों को अक्सर मानसिक और शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता का स्तर कम हो सकता है।

76 एक्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2017 एससीसी ऑनलाइन बॉम 9334।

77 बाल अधिकार समिति की सिफारिशें, 1997, पैरा 329, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/CRC/चर्चा/सिफारिशें/सिफारिशें1997.pdf> 05 सितंबर 2024 को एक्सेस किया गया

78 सविता सचिन पाटिल बनाम भारत संघ, रिट याचिका (सिविल) संख्या 121/2017, आदेश दिनांक 28.02.2017

Machine Translated by Google

अलग-अलग हो सकते हैं, और एक बड़े हिस्से में गंभीर बौद्धिक विकलांगता नहीं हो सकती है।79 इस मामले में, भ्रूण में कुछ चुनौतियाँ होने की "संभावना" थी, लेकिन रिपोर्ट ने निश्चित रूप से यह नहीं बताया कि ये चुनौतियाँ गंभीर होंगी।80 यह मामला इस गलत धारणा पर प्रकाश डालता है कि विकलांग भ्रूण को "पीड़ा" से बचाने के लिए गर्भपात कर देना चाहिए। व्यक्तियों और भावी माता-पिता को यह संवेदनशील बनाना महत्वपूर्ण है कि विकलांगता के खिलाफ निवारक रणनीति के रूप में जीवन को नकारना नहीं चाहिए, और ऐसे कई उपाय और सहायता संरचनाएँ हैं जो विकलांग बच्चों को समाज में पूरी तरह से भाग लेने की अनुमति दे सकती हैं।

15. विकलांग कैदियों के अधिकार

विकलांग कैदी विशेष रूप से हाशिए पर पड़े जनसांख्यिकीय समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें उनकी विशिष्ट परिस्थितियों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष ध्यान और सहायता की आवश्यकता होती है। संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकार कैदियों तक विस्तारित हैं, यह मान्यता है कि सलाखों के पीछे भी व्यक्तियों को जीवन और सम्मान के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए।81

जेलों का प्रशासन और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जैसा कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 4 में उल्लिखित है। नतीजतन, यह अलग-अलग राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे जेलों और कैदियों को नियंत्रित करने के लिए उचित विधायी ढाँचे को लागू करें, जो 2023 के मॉडल जेल अधिनियम और 2016 के मॉडल जेल मैनुअल जैसे दस्तावेजों द्वारा निर्देशित हों।

मॉडल जेल अधिनियम 202382 की धारा 5 जेल वास्तुकला और संस्थागत पैटर्न के महत्व को रेखांकित करती है, और यह प्रावधान करती है कि जेलों को इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है कि विभिन्न श्रेणियों के कैदियों को अलग-अलग रखने और अलग-अलग आवास की सुविधा मिल सके, और विकलांग व्यक्तियों जैसे कैदियों की विशेष जरूरतों को पूरा किया जा सके।83

हालांकि कई राज्य स्तरीय जेल मैनुअल में विकलांग कैदियों की ज़रूरतों को संबोधित करने वाले विशिष्ट प्रावधानों का अभाव है, फिर भी कुछ उल्लेखनीय अपवाद हैं। उदाहरण के लिए,

79 वही 3.

80 वही 3.

81 सुनील बत्रा (द्वितीय) बनाम दिल्ली प्रशासन 1979 आईएनएससी 27।

82 मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम 2023, <https://www.mha.gov.in/sites/default/files/advisory_10112023 पर उपलब्ध है। पीडीएफ>.

83 मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम 2023, धारा 5(3)।

Machine Translated by Google

उत्तराखंड ने 2023 में अपने जेल मैनुअल में संशोधन करके "दिव्यांग कैदियों" पर एक समर्पित अध्याय शामिल किया। उत्तराखंड जेल मैनुअल (नियम) 202384 विकलांगता को दृष्टिहीनता, कम दृष्टि, श्रवण दोष, चलने-फिरने में अक्षमता और सरकार द्वारा निर्धारित अन्य निर्दिष्ट विकलांगताओं के रूप में परिभाषित करता है।85 यह अनिवार्य करता है कि जेल अधिकारी विकलांग कैदियों के लिए पर्याप्त सुविधाएँ सुनिश्चित करें, उन्हें दुर्व्यवहार और क्रूर व्यवहार से बचाएँ और शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए समान अवसर प्रदान करें।86 इसके अलावा, यह निर्धारित करता है कि दृष्टि या श्रवण दोष वाले कैदियों को उचित भाषाओं और संचार के तरीकों में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।87 संचार और कौशल विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सांकेतिक भाषा और ब्रेल में कुशल योग्य पेशेवरों को नियुक्त किया जाना चाहिए।88 इसके अतिरिक्त, विकलांग कैदियों की ज़रूरतों के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकासात्मक, बौद्धिक, बहु विकलांगता और ऑटिज़्म वाले कैदियों के लिए अनिवार्य हैं।89

इसके अतिरिक्त, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने संबंधित जेल मैनुअल को लागू करते समय कैदियों के उपचार के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर भरोसा कर सकते हैं, जिन्हें आमतौर पर नेल्सन मंडेला नियम के रूप में जाना जाता है। ये नियम विकलांग कैदियों के लिए जेल जीवन तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए उचित समायोजन की वकालत करते हैं। वे विकलांग कैदियों को एकांत कारावास में रखने पर भी रोक लगाते हैं, जब ऐसे उपाय उनकी स्थिति को और खराब कर सकते हैं।

अभियुक्त 'एक्स' बनाम महाराष्ट्र राज्य में , 91 सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सजा के बाद गंभीर मानसिक बीमारी कुछ मामलों में एक कम करने वाला कारक होगी और किसी अभियुक्त को मौत की सज़ा सुनाते समय इस पर विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम की धारा 103 के तहत राज्य सरकारों को प्रत्येक जेल में कम से कम एक जेल के चिकित्सा विंग में मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान स्थापित करने की आवश्यकता होती है।

84 उत्तराखंड जेल मैनुअल (नियम) 2023, <https://prison.uk.gov.in/files/english_Jail_manual,_2023.pdf> पर उपलब्ध है।

85 वही नियम 689.

86 वही नियम 691.

87 वही नियम 692(ii)।

88 वही नियम 692(iii)।

89 वही नियम 692(सप्तम)।

90 कैदियों के उपचार के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम (नेल्सन मंडेला नियम), <https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-E-ebook.pdf> पर उपलब्ध है 19 अगस्त को अभिगमित 2024.

91 अभियुक्त 'एक्स' बनाम महाराष्ट्र राज्य 2019 आईएनएससी 518।

Machine Translated by Google

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में मानसिक बीमारी वाले कैदियों को वहां भेजा जा सकता है और उनकी देखभाल की जा सकती है।

16. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत शैक्षिक सुविधाएं

विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण अधिनियम की धारा 16 सभी शैक्षणिक संस्थानों पर यह दायित्व डालती है कि वे विकलांग छात्रों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार 'उचित सुविधा' प्रदान करें।92 जबकि इस संदर्भ में "उचित सुविधा" शब्द को पूरी तरह से परिभाषित नहीं किया गया है, धारा 16 को संदर्भगत रूप से पढ़ने पर पता चलता है कि इसमें विकलांग छात्रों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी उपाय शामिल हैं। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण अधिनियम की धारा 17 में अधिनियम की धारा 16 के तहत दायित्व को पूरा करने के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और उसे सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ विशिष्ट उपायों का विवरण दिया गया है।93 इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षित करना और नियुक्त करना शामिल है जो बौद्धिक विकलांग बच्चों को पढ़ाने में योग्य हों, ब्रेल या सांकेतिक भाषा जैसे संचार के उपयुक्त और वैकल्पिक साधनों का उपयोग करें, और बेंचमार्क विकलांग छात्रों के लिए निःशुल्क पुस्तकें और सहायक उपकरण और छात्रवृत्ति प्रदान करें।94 स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को विकलांग बच्चों के साथ जुड़ने के लिए नवीन शैक्षणिक तरीकों को अपनाने और विकलांग छात्रों के संबंध में भागीदारी और उपलब्धि के स्तर की निगरानी करने की भी आवश्यकता है।95

परीक्षा के दौरान दृष्टिहीन उम्मीदवारों को लेखक का उपयोग करने की अनुमति देना तथा प्रतिपूरक समय देना भारत में उचित समायोजन के मान्यता प्राप्त रूप हैं।96 इसी प्रकार, कुछ यूरोपीय न्यायक्षेत्रों में, स्कूल स्टाफ को प्रशिक्षित करना तथा उन्हें व्यवहार-संबंधी स्थितियों (जैसे एस्परगर सिंड्रोम) वाले बच्चों को दंडित न करने के लिए संवेदनशील बनाना उचित समायोजन का एक रूप माना जाता है।97 श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए सांकेतिक भाषा व्याख्या प्रदान करना98 डिस्लेक्सिया से पीड़ित विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान डिजिटल रीडिंग टूल तक पहुंच प्रदान करना99 तथा यह सुनिश्चित करना कि

92 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, धारा 16(iii)।

93 विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016, धारा 17।

94 वही.

95 वही, धारा 16(vi) और (vii)।

96 नेशनल फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड बनाम संघ लोक सेवा आयोग 1993 आईएनएससी 110.

97 ग्रेट ब्रिटेन, स्कॉटलैंड स्वास्थ्य और शिक्षा चैंबर के लिए प्रथम स्तरीय न्यायाधिकरण मैकगिब्बन बनाम ग्लासगो सिटी काउंसिल (2018) में।
देखें <https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2021/03/Reasonable-Accommodation-Disability-Discussion-Paper.pdf>

98 बेल्जियम, प्रथम दृष्टांत गेन्ट न्यायाधिकरण, मामला एआर 09/1122/ए (15 जुलाई 2009)।

99 स्वीडन, स्कैनिया और ब्लेकिंग कोर्ट ऑफ अपील, माल्मो म्युनिसिपैलिटी, एफटी 3697-19 (2020) और स्वेया कोर्ट ऑफ अपील, हुडिंगे

Machine Translated by Google

विकलांग छात्रों के लिए परामर्श या मध्यस्थता समर्थन और सहायता100 सभी उचित समायोजन के रूप हैं जिन्हें दुनिया भर के अधिकार क्षेत्रों में शिक्षा तक समावेशी पहुंच को बढ़ावा देने के रूप में मान्यता दी गई है।

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 31 और 32 भी उपयुक्त सरकार और अन्य स्थानीय अधिकारियों पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व डालती है कि बेंचमार्क विकलांगता वाले प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के स्कूल या विशेष स्कूल में मुफ्त शिक्षा प्राप्त हो। अधिनियम उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण अनिवार्यता भी निर्धारित करता है।

इनका उल्लेख ऊपर धारा 9 में किया गया है।

17. बुनियादी ढांचा और पर्यावरणीय दायित्व

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 41 में परिवहन सुविधाएं प्रदान करने, डिजाइन मानकों के अनुरूप परिवहन के सभी साधनों तक पहुंच, तथा सुलभ सड़कों के साथ-साथ किफायती लागत पर व्यक्तिगत गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए योजना कार्यक्रमों के विकास के लिए सरकार द्वारा उपाय किए जाने का प्रावधान है।

धारा 42 के अनुसार उपयुक्त सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऑडियो, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाया जाए; इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ऑडियो विवरण, सांकेतिक भाषा व्याख्या और क्लोज कैप्शनिंग हो; और रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सार्वभौमिक डिजाइन के अनुरूप हों।

धारा 45 के अनुसार सार्वजनिक भवनों को नियमों की अधिसूचना की तिथि से पांच वर्ष के भीतर संघ सरकार के नियमों के अनुसार सुगम्य बनाया जाना आवश्यक है।

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 40 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार मुख्य आयुक्त के परामर्श से विकलांग व्यक्तियों के लिए नियम बनाएगी, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को प्रदान की जाने वाली भौतिक पर्यावरण, परिवहन, सूचना और संचार, उपयुक्त प्रौद्योगिकी और प्रणालियों और अन्य सुविधाओं और सेवाओं के लिए पहुँच के मानक निर्धारित किए जाएँगे। ये मानक विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के नियम 15 में उल्लिखित हैं और इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

नगर पालिका, एफटी 8377-19 (2020); गोटा कोर्ट ऑफ अपील, ओरेब्रो नगर पालिका, एफटी 3960-19 (2020)।

100 शिक्षण सहायकों और व्यावसायिक संचार मध्यस्थों के बारे में नियम, क्रोएशिया: आधिकारिक राजपत्र संख्या 102/18, 59/19 और 22/20).

Machine Translated by Google

नियम 15(1)(ए): सार्वभौमिक के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश और स्थान मानक
भारत में सुगम्यता, 2021

नियम 15(1)(बी): परिवहन प्रणाली, 2016 के लिए बस बॉडी कोड हेतु मानक

नियम 15(1)(सी)(iii): आईसीटी उत्पादों और सेवाओं के लिए पहुंच (भाग I और II)

नियम 15(1)(डी): संस्कृति क्षेत्र विशिष्ट सामंजस्यपूर्ण पहुंच मानक

नियम 15(1)(ई): दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए सुलभ खेल परिसर और आवासीय सुविधाओं पर दिशानिर्देश

नियम 15(1)(एफ): नागरिक उड्डयन 2022 के लिए सुगम्यता मानक और दिशानिर्देश

नियम 15(1)(जी): स्वास्थ्य देखभाल के लिए सुलभता मानक।

नियम 15(1)(एच): ग्रामीण क्षेत्र-विशिष्ट सामंजस्यपूर्ण मानक/दिशानिर्देश।

नियम 15(1)(i): पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा सुगम्यता संबंधी दिशानिर्देश।

समावेशी पर्यावरण के लिए प्रमुख दिशानिर्देश और मानक:

बुनियादी ढांचागत आवास

व्यक्ति-विशिष्ट विकलांगता	पहुँच की आवश्यकताएं
दृश्य हानि वाले व्यक्ति हानि	कम दृष्टि वाले लोगों के लिए पर्याप्त प्रकाश। पहचान के लिए स्पर्शनीय चिह्न. दीवार की रेलिंग. ब्रेल लिपि, उभरे हुए और/या बड़े अक्षरों में संकेत। अबाधित रास्ते. दृष्टि बाधित व्यक्तियों को भवन के अंदर और भवन के बाहर मार्गदर्शन देने के लिए मार्गदर्शक ब्लॉकों का उपयोग। भवन मानचित्र सुलभ प्रारूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। सुरक्षित आवागमन के लिए फिसलन रहित सतह

Machine Translated by Google

श्रवण और/या वाक् विकलांगता वाले व्यक्ति	सुस्पष्ट संकेत और लेआउट आरेख, जिससे लोगों को वांछित स्थान तक आसानी से पहुंचने में मदद मिल सके। सार्वजनिक स्थानों पर संचार के वैकल्पिक तरीके, जैसे कागज और कलम। आसानी से समझ में आने वाली सूचना बोर्ड का प्रावधान ढंग। जहां संभव हो, सांकेतिक भाषा दुभाषिया की व्यवस्था करें।
जिन व्यक्तियों के पास बौद्धिक विकलांगता और/या सीखने संबंधी विकलांगता	होने वाली घटनाओं या गतिविधियों पर स्पष्ट संचार। पढ़ने में आसान लिखित सामग्री: चित्रात्मक एवं सुस्पष्ट चित्रण।
जिन व्यक्तियों के पास शारीरिक दुर्बलता (चलने में कठिनाई)	व्हीलचेयर की सुविधा के लिए चौड़े रास्ते, रैंप और दरवाजे आंदोलनों. सुलभ शौचालय एवं धुलाई सुविधाएं। दीवार की रेलिंग. बैसाखी उपयोगकर्ताओं के लिए मार्ग की चौड़ाई (न्यूनतम 900 मिमी) सुलभ अग्नि सुरक्षा उपाय और व्हीलचेयर की जांच के लिए सुसज्जित सुरक्षा चौकियां। लिफ्ट की ओर सीढ़ी-मुक्त प्रवेश।
शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्ति (हाथों और बाजुओं का उपयोग करने में कठिनाई)	आसानी से पकड़ने या झुकने के लिए बार-बार हैंडरेल्स लगाए जाते हैं। आसान प्रवेश की अनुमति देने वाले दरवाजे जैसे स्वचालित, घूमने वाले या स्लाइडिंग दरवाजे। सुलभ शौचालय एवं धुलाई सुविधाएं। पानी के फिल्टर, चाय/कॉफी मशीनें और अन्य उपकरण व्हीलचेयर-पहुंचयोग्य ऊंचाई पर रखे गए हैं।
सामान्य पहुंच ज़रूरत	गतिशीलता उपकरणों, जैसे व्हीलचेयर, बैसाखी या वॉकर का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के लिए पर्याप्त स्थान। विकलांग व्यक्तियों के लिए समर्पित बैठने की व्यवस्था के साथ सुलभ कैंटीन। पार्किंग स्थल जो विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ एवं सुविधाजनक हों। न्यायालय परिसर में एटीएम सुगम्यता सुविधाओं से सुसज्जित हैं।

Machine Translated by Google

सितंबर 2024 तक समावेशी, बाधा-मुक्त बुनियादी ढांचे के निर्माण पर संपूर्ण दिशानिर्देशों और मानकों के लिए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा भारत में सार्वभौमिक पहुंच के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश और मानक (2021) देखें, जो https://niua.in/intranet/sites/default/files/2262.pdf पर उपलब्ध है।

डिजिटल पहुंच

अधिक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रमुख दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:

वेब पेजों और एप्लिकेशन स्क्रीन में ऐसे शीर्षक होते हैं जो पेज या स्क्रीन के विषय या उद्देश्य का वर्णन करते हैं। वेब पेजों और एप्लिकेशन में स्पष्ट शीर्षक और लेबल होते हैं जो विषय या उद्देश्य का वर्णन करते हैं।

वेबसाइटों और एप्लीकेशनों पर सभी बटन स्पष्ट रूप से लेबल किए गए हैं।

सभी दस्तावेज सुलभ एवं मशीन-पठनीय हैं।

उपयोगकर्ताओं को प्रस्तुत की जाने वाली गैर-पाठ सामग्री का एक पाठ विकल्प होता है जो समान उद्देश्य को पूरा करता है। CAPTCHA ऑडियो फॉर्म में उपलब्ध हैं।

जब सामग्री के लिए उपयोगकर्ता इनपुट की आवश्यकता होती है तो लेबल या निर्देश प्रदान किए जाते हैं। यदि इनपुट त्रुटि का स्वतः पता लग जाता है, तो त्रुटि वाली वस्तु की पहचान की जाती है और त्रुटि का वर्णन उपयोगकर्ता को पाठ में किया जाता है।

पहले से रिकॉर्ड की गई ऑडियो-ओनली सामग्री और पहले से रिकॉर्ड की गई वीडियो सामग्री के साथ वैकल्पिक मीडिया भी होता है जो समान उद्देश्य को पूरा करता है। सभी पहले से रिकॉर्ड की गई और लाइव ऑडियो सामग्री के लिए कैप्शन दिए गए हैं। सभी पहले से रिकॉर्ड की गई वीडियो सामग्री के लिए ऑडियो विवरण दिए गए हैं।

दृश्य रूप से व्यक्त की गई जानकारी, संरचना और संबंधों को एक प्रस्तुति के माध्यम से व्यक्त किया जाता है जिसे प्रोग्रामेटिक रूप से निर्धारित या उपलब्ध किया जा सकता है
पाठ में।

रंग का उपयोग सूचना देने, किसी क्रिया का संकेत देने, प्रतिक्रिया को प्रेरित करने, या किसी दृश्य तत्व को अलग करने के एकमात्र दृश्य साधन के रूप में नहीं किया जाता है।

जब सामग्री को प्रस्तुत करने का क्रम उसके अर्थ को प्रभावित करता है, तो सही पठन क्रम को प्रोग्रामेटिक रूप से निर्धारित किया जा सकता है।

Machine Translated by Google

विषय-वस्तु को समझने और संचालित करने के निर्देश केवल घटकों की संवेदी विशेषताओं जैसे आकार, रंग, आकार, दृश्य स्थान, अभिविन्यास या ध्वनि पर निर्भर नहीं होते हैं।

प्रत्येक लिंक का उद्देश्य केवल लिंक पाठ से या लिंक पाठ के साथ-साथ उसके प्रोग्रामेटिक रूप से निर्धारित लिंक संदर्भ से निर्धारित किया जा सकता है।

कैलेंडर और फॉर्म में सुलभ कॉम्बो बॉक्स या संपादन फ़ील्ड होना चाहिए और इससे बचना चाहिए

केवल पढ़ने के लिए संपादन फ़ील्ड.

सितंबर 2024 तक सरकारी वेबसाइटों और अनुप्रयोगों की गुणवत्ता और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण दिशा-निर्देशों और मानकों के लिए, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की वेबसाइटों और ऐप्स 3.0 के लिए दिशानिर्देश देखें, जो https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/ पर उपलब्ध हैं।

s3c92a10324374fac681719d63979d00fe/uploads/2024/02/2024022987.pdf.

न्यायालय निम्नलिखित कदम भी उठा सकते हैं:

विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए सहायक प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराएं, जैसे कंप्यूटर और वेब पेजों में स्क्रीन रीडर और मैग्निफायर।

विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ प्रारूप में सभी प्रासंगिक दस्तावेजों का अनुरोध करने हेतु एक प्रक्रिया बनाई जाए।

सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति ने सुलभ न्यायालय दस्तावेज तैयार करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की है, जो https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s388ef51f0bf911e452e8dbb1d807a81ab/ पर उपलब्ध है।

अपलोड/2022/11/2022112997.pdf.

Machine Translated by Google

संदर्भ सामग्री और संसाधन

1. इंग्लैंड और वेल्स की न्यायपालिका, समान उपचार बेंच बुक (न्यायालय और न्यायाधिकरण न्यायपालिका, 2024 संस्करण) <https://www.sentencingcouncil.org.uk/wp-content/uploads/Equal-Treatment-Bench-Book.pdf> 13 सितंबर 2024 को एक्सेस किया गया.

2. संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र विकलांगता-समावेशी संचार दिशानिर्देश (मार्च, 2022) <https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_disability-inclusive_communication_guidelines.pdf > 13 सितंबर 2024 को एक्सेस किया गया.

3. राष्ट्रीय विकलांगता और पत्रकारिता केंद्र, विकलांगता भाषा शैली गाइड <https://ncdj.org/style-guide/> 13 सितंबर 2024 को एक्सेस किया गया.

4. भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सभी के लिए एक न्यायालय: विकलांग व्यक्तियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अधिक पहुंच का मार्ग प्रशस्त करना (पहुंच पर समिति, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अक्टूबर 2023) <https://main.sci.gov.in/pdf/LU/06112023_140650.pdf> 13 सितंबर 2024 को एक्सेस किया गया.

5. ई-समिति, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुलभ न्यायालय दस्तावेज तैयार करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s388ef51f0bf911e452e8dbb1d807a81ab/uploads/2022/11/2022112997.pdf> 13 सितंबर 2024 को एक्सेस किया गया.

6. विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति, 'अनुच्छेद 9: पहुंच' पर सामान्य टिप्पणी 2, (सीआरपीडी/सी/जीसी/2, 2014) <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g14/033/13/pdf/g1403313.pdf> 13 सितंबर 2024 को एक्सेस किया गया.

7. विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति, 'अनुच्छेद 5: समानता और गैर-भेदभाव' पर सामान्य टिप्पणी 6 (सीआरपीडी/सी/जीसी/6, 2018) <https://document.un.org/doc/undoc/gen/g18/119/05/pdf/g1811905.pdf> 13 सितंबर 2024 को एक्सेस किया गया.

8. विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, किसी व्यक्ति में निर्दिष्ट विकलांगता की सीमा का आकलन करने के उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश (मार्च 2024) <https://divyangjan.depwd.gov.in/upload/uploadfiles/assessment_guidelines.pdf> 13 सितंबर 2024 को एक्सेस किया गया.

Machine Translated by Google

9. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार, भारत में सार्वभौमिक पहुंच के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश और मानक 2021 (मार्च 2022) <https://niua.in/intranet/sites/default/files/2262.pdf> 13 सितंबर को अभिगमित 2024.

10. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइटों और ऐप्स के लिए दिशानिर्देश 3.0 (2023) <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3c92a10324374fac681719d63979d00fe/uploads/2024/02/2024022987.pdf> 13 सितंबर 2024 को एक्सेस किया गया.

Machine Translated by Google

भारत का सर्वोच्च न्यायालय
तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001